कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

सरपंच एवं वार्ड पंच का चुनाव, 2026

रिटर्निंग अधिकारी की मॉडल कार्यालय शीटें

आयोग के आदेशों और मार्गदर्शिका पर आधारित; आयोग के निर्धारित प्ररूप नहीं

रवानगी से उप-सरपंच के चुनाव तक, खाली छापकर भरने के लिए

राज्य निर्वाचन आयोग का दस्तावेज़ नहीं · स्वतंत्र, अनौपचारिक संकलन · आयोग के मूल आदेश और मार्गदर्शिका ही अंतिम

संकलन और ताज़ा फ़ाइल: **mockpoll.com**

चरण	#	मॉडल कार्यालय शीट	भरकर कहाँ
रवानगी और पहुँचते ही	1	बालोतरा: रिटर्निंग अधिकारी की दिन-वार कार्य सूची, और सूचनाएँ चस्पा करने की सूची (तीसरा और चौथा चरण)	कार्यालय
	2	RO बैग: सामग्री मिलान सूची	कार्यालय
	3	ज़रूरी संपर्क नंबर: अधिकारी, कार्यालय, नियंत्रण कक्ष, बूथ के प्रगणक (BLO)	कार्यालय
	4	मतदान दलों के कार्मिकों की संपर्क सूची	कार्यालय
नाम निर्देशन से पहले	5	कार्यालय आदेश: नाम निर्देशन दिवस का कार्य वितरण	P-1
	6	कार्यालय आदेश: नामांकन सहायता डेस्क	P-1
नाम निर्देशन का दिन	7	नामांकन फॉर्म वितरण रजिस्टर	P-1
	8	नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति रजिस्टर	P-1
	9	सरपंच की प्रतिभूति राशि: जमा, वापसी और ज़ब्ती रजिस्टर	P-42
	10	मीमो: खाली कॉलम, और मीमो रजिस्टर	P-1
	11	अभ्यर्थी को दिए कागज़ों का पावती रजिस्टर (मीमो, प्ररूप-5 की प्रति आदि)	P-1
	12	नोटिस बोर्ड: प्राप्त नाम निर्देशन पत्र	P-1
	13	संवीक्षा जाँच-सूची: हर पत्र का अलग पन्ना, और एक पन्ने पर तीन पर्चियाँ	P-1
	14	संवीक्षा: आपत्ति और उस पर निर्णय	P-1
	15	नामंजूरी के कारण: जाँच चिट (नामंजूर पत्र के साथ लगाने के लिए)	P-1
	16	नोटिस बोर्ड: संवीक्षा का परिणाम (मंजूर / नामंजूर)	P-1
	17	नाम वापसी की सूचना: वार्ड पंच पद और सरपंच पद (दो-दो प्रतियाँ)	P-1
	18	नोटिस बोर्ड: नाम वापस लेने वाले अभ्यर्थी	P-1
	19	नोटिस बोर्ड: प्ररूप-5, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी	P-1
मतदान और गिनती	20	मतदान दलों को सामग्री सौंपने का रजिस्टर	P-1
	21	कार्यालय आदेश: मतगणना दल की तैनाती और काम का बँटवारा	P-1
	22	मतपेटियाँ और लिफ़ाफ़े लेने का रजिस्टर; गिनती में मौजूद अभ्यर्थी; पेटियाँ खोलने का रिकॉर्ड	P-1
	23	मतपत्र मिलान पत्रक (बूथवार)	P-1
	24	गणना स्लिप: वार्ड पंच	P-1
	25	गणना स्लिप: सरपंच, और सरपंच योग पत्रक	P-1
	26	नामंजूर मतपत्रों का विवरण	P-1
	27	पुनर्गणना: आवेदन और आदेश	P-1
	28	बराबर वोट: लॉट निकालने का विवरण	P-1
	29	शपथ और निर्वाचन प्रमाण-पत्र: प्राप्ति रजिस्टर	P-1
उप-सरपंच का चुनाव	30	कार्यालय आदेश: उप-सरपंच के चुनाव में सहायक कार्मिक	P-41
	31	उप-सरपंच की बैठक का नोटिस: तामील रजिस्टर	P-41
	32	उप-सरपंच का चुनाव: पहली बैठक की कार्यवाही और उपस्थिति सूची	P-41
सब काम पूरा होने पर	33	निर्वाचन रिकॉर्ड जमा करने की सूची और रसीद	RO के पास

ज़रूरी बातें

- प्ररूप-5, प्ररूप-7 = आयोग के फ़ॉर्म; मॉडल कार्यालय शीट #1 से #33 = इस फ़ाइल के सुझाए काग़ज़, आयोग के निर्धारित प्ररूप नहीं। शीट #19 (प्ररूप-5) मार्गदर्शिका के परिशिष्ट 8-A / 8-B के कॉलमों पर बनी है, और शीट #17 नाम वापसी के मॉडल फ़ॉर्म (परिशिष्ट-27) पर।
- आयोग के निर्धारित प्ररूप अलग से भरे जाते हैं: नाम निर्देशन पत्र प्ररूप-4 और उसकी रसीद (परिशिष्ट 6-A), परिणाम प्ररूप-7 (परिशिष्ट-10), शपथ प्ररूप-11 (परिशिष्ट-18), सांख्यिकीय फार्म (परिशिष्ट-25), जमानत के प्रपत्र-1 और प्रपत्र-2।
- आख़िरी कॉलम (सुझाव): भरी शीट किस लिफ़ाफ़े में। मार्गदर्शिका में P-1 (सील नहीं) में नाम निर्देशन पत्र, उनसे जुड़े कागज़ और "अन्य कागजात" रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर P-1 में; जमानत का रजिस्टर रसीद बही के साथ P-42 में, उप-सरपंच वाले P-41 में (पृष्ठ 23-24; परिशिष्ट-15 (स))।
- ये शीटें इन पर आधारित हैं: चुनाव कार्यक्रम 9836 (03.10.2026), आदेश 9809 (02.10.2026), आदेश 10055 (06.10.2026), पत्र 10090 (06.10.2026), पत्र 1323 (03.02.2026), उप-सरपंच के समय का पत्र (20.10.2026), राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994, और मतपेटी वाली मार्गदर्शिका (पूरे क्रमांक और प्रतियों के लिंक अगले पन्ने पर)।

आधार: आयोग के आदेश और पत्र

शीटों के "आधार" कॉलम और नोट में आदेशों और पत्रों का छोटा नाम लिखा है; पूरा क्रमांक और दिनांक नीचे। नाम पर क्लिक करें, तो mockpoll.com पर उसकी प्रति खुलेगी; छपी प्रति में पता = https://mockpoll.com/panchayat/rajasthan/2026/ के बाद तीसरे कॉलम का नाम।

छोटा नाम	पूरा क्रमांक और दिनांक	प्रति
कार्यक्रम 9836	आयोग का चुनाव कार्यक्रम, क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9836-44, दिनांक 03.10.2026	orders/9836.pdf
पत्र 10090	आयोग का पत्र क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/10090, दिनांक 06.10.2026 (पहले, दूसरे और तीसरे चरण की समय-सारणी में बदलाव; तीसरे चरण की तारीख़ें इसी से)	orders/10090.pdf
आदेश 9809	आयोग का आदेश क्रमांक एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/9809, दिनांक 02.10.2026	orders/9809.pdf
आदेश 10055	आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10055, दिनांक 06.10.2026 (पंच और सरपंच के नाम निर्देशन के कागज़)	orders/10055.pdf
पत्र 1323	आयोग का पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1323, दिनांक 03.02.2026 (मतगणना)	orders/cmp-1323.pdf
पत्र 20.10.2026	आयोग का पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/स्पे. 1, दिनांक 20.10.2026 (उप-सरपंच के चुनाव का समय)	orders/upsarpanch-samay-20102026.pdf
आदेश 6251	आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/6251, दिनांक 26.12.2019 (लोक सूचना कहाँ लगे)	orders/cmp-6251.pdf
अधिसूचना 4191	आयोग की अधिसूचना क्रमांक प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/4191, दिनांक 17.10.2025 (पंच और सरपंच के चुनाव प्रतीक)	orders/cmp-4191.pdf
पत्र 5096	आयोग का पत्र क्रमांक एफ.7(4)(1)पंचा/रानिआ/14-15/5096, दिनांक 26.12.2025 (मतदान दलों का गठन)	orders/cmp-5096.pdf
मार्गदर्शिका	मतपेटी वाली मार्गदर्शिका, पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 (पृष्ठ = छपा पृष्ठ नंबर)	sources/mgm-2026.pdf

- नियम = राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994; धारा = राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994। धारा 27(2), नियम 65(2) और नियम 66(9) पर क्लिक करें, तो उस पन्ने की प्रति खुलेगी।
- मार्गदर्शिका के हवाले में "पृष्ठ" = छपा पृष्ठ नंबर; उस पर क्लिक करें, तो मार्गदर्शिका उसी पन्ने पर खुलेगी।
- दिन-वार सूची (शीट #1) की तारीख़ें: तीसरा चरण पत्र 10090 से (इसने कार्यक्रम 9836 में पहले, दूसरे और तीसरे चरण की समय-सारणी बदली), चौथा चरण कार्यक्रम 9836 से, उप-सरपंच के चुनाव का समय पत्र 20.10.2026 से।
- नाम निर्देशन के दिन के काम, मतपत्र पर नाम हाथ से लिखना और अतिरिक्त पर्चियाँ आदेश 9809 (02.10.2026) के हिसाब से लिखे हैं। इस आदेश में लिखा है कि इसकी प्रक्रिया के बारे में पहले के आदेशों, परिपत्रों और मार्गदर्शिकाओं की बातें उस हद तक लागू नहीं होंगी।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

बालोतरा ज़िला: रिटर्निंग अधिकारी की दिन-वार कार्य सूची

पंच, सरपंच और उप-सरपंच का चुनाव: तीसरा और चौथा चरण

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

तारीख़ें: तीसरा चरण आयोग के पत्र 10090 (06.10.2026) से, जिसने चुनाव कार्यक्रम 9836 में तीसरे चरण की तारीख़ें बदलीं; चौथा चरण कार्यक्रम 9836 (03.10.2026) के परिशिष्ट-A से। उप-सरपंच के चुनाव का समय: आयोग का पत्र दिनांक 20.10.2026। सूची में "शीट #7" का मतलब है इसी फ़ाइल की मॉडल कार्यालय शीट #7।

तीसरा चरण	चौथा चरण	समय	रिटर्निंग अधिकारी का काम	आधार
19.10.2026 सोमवार	31.10.2026 शनिवार		ज़िला निर्वाचन अधिकारी की लोकसूचना (नियम 23 सपठित नियम 56); जानकारी के लिए।	कार्यक्रम 9836
मतदान से कुछ दिन पहले	मतदान से कुछ दिन पहले		रिटर्निंग अधिकारी का पहुँचना। ज़िला निर्वाचन अधिकारी से सामग्री लेकर एक-एक चीज़ मिलाइए (शीट #2)। मतदान दलों की सामग्री (परिशिष्ट-7) रिटर्निंग अधिकारी से मतदान दलों को जाती है (रजिस्टर: शीट #20)।	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 7, अध्याय-3, बिन्दु 4; पृष्ठ 15, अध्याय-4, बिन्दु 1
02.11.2026 सोमवार	13.11.2026 शुक्रवार		मतदान दलों का प्रस्थान और मतदान केन्द्र पर पहुँचना।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836
03.11.2026 मंगलवार	14.11.2026 शनिवार	सुबह 7:00 से शाम 6:00	ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का मतदान; जानकारी के लिए।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836

तीसरा चरण	चौथा चरण	समय	रिटर्निंग अधिकारी का काम	आधार
04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	सुबह 8:00 से 11:00 तक	नाम निर्देशन पत्र लेना, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर (पंचायत भवन, या ज़िला निर्वाचन अधिकारी का तय किया स्थान)। पत्र लेना, संवीक्षा और नाम वापसी, तीनों एक ही दिन। यह काम रिटर्निंग अधिकारी करेंगे, और उनकी मदद के लिए नियुक्त मतदान दल के वे कार्मिक, जो मतदान अधिकारी की योग्यता रखते हों। रजिस्टर: शीट #7, #8; सरपंच की जमानत: शीट #9; खाली कॉलम का मीमो: शीट #10; नोटिस बोर्ड: शीट #12।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836; आदेश 9809
		11:30 से	संवीक्षा: शीट #13, #14, #15; नोटिस बोर्ड पर परिणाम: शीट #16।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836
		दोपहर 2:00 बजे तक	नाम वापसी: अभ्यर्थी ख़ुद आकर, दो प्रतियों में; एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर। मॉडल फ़ॉर्म परिशिष्ट-27 (छपा नमूना सरपंच पद का; दोनों पदों के लिए शीट #17); नोटिस बोर्ड की सूची: शीट #18।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 35-36, बिन्दु 13
		2:00 बजे के तुरंत बाद	चुनाव प्रतीक देना और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-5) जारी करना: सरपंच की, और हर वार्ड के पंच की अलग; हिन्दी वर्णमाला के क्रम में; प्रतीक भी इसी क्रम में, अधिसूचना 4191 वाले 40-40 में से (शीट #19); सिर्फ़ उन अभ्यर्थियों को, जिनका नाम निर्देशन पत्र स्वीकार हुआ और जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया। नाम निर्देशन पत्र से जुड़े कागज़ लिफ़ाफ़ा P-1 में रखिए; यह लिफ़ाफ़ा सील नहीं होगा।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836; आदेश 9809; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 36, बिन्दु 15
		नाम निर्देशन की प्रक्रिया के बाद	अतिरिक्त पर्चियाँ: योग्य अभ्यर्थियों की गिनती देखकर, ज़िला निर्वाचन अधिकारी पहली, दूसरी और तीसरी पर्ची ज़रूरत के हिसाब से (ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं के अनुसार) तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। प्रतीक 1 से 10 मतपत्र पर छपे हैं; 11 से 20 पहली, 21 से 30 दूसरी, और 31 से 40 तीसरी पर्ची पर।	आदेश 9809
		प्ररूप-5 जारी होते ही	मतपत्र तैयार करना, ग्राम पंचायत स्तर पर ही: मतपत्र पर सिर्फ़ प्रतीक छपे हैं, अभ्यर्थी के नाम की जगह खाली है। हर प्रतीक के सामने की खाली जगह पर अभ्यर्थी का नाम मतदान दलों के अधिकारी और कार्मिक काले बॉल पेन से लिखेंगे। सरपंच का मतपत्र सफ़ेद, पंच का गुलाबी। मतदान इन्हीं मतपत्रों से होगा।	आदेश 9809
			अभ्यर्थी ज़्यादा हों, तो ज़रूरत के हिसाब से पर्चियाँ मतपत्र के नीचे चिपकाकर एक लम्बा कॉलम बनेगा; जो प्रतीक काम में नहीं आए, उन्हें कैंची या ब्लेड से काटकर अलग कर दिया जाएगा। नोटा का स्टीकर (आयोग का छपवाया) आख़िरी अभ्यर्थी के ठीक बाद वाली जगह पर: जैसे 6 अभ्यर्थी हों, तो मतपत्र पर सातवीं जगह; 12 हों, तो पहली पर्ची की तीसरी जगह। मतपत्र और नोटा के स्टीकर मतदान दलों को ज़िले की चुनाव सामग्री के साथ मिलेंगे (काला बॉल पेन, काला कार्बन, फेविस्टिक, कैंची या ब्लेड, स्टील का स्केल, स्टेपलर, यू-पिन, नीचे रखने को हार्डबोर्ड)।	आदेश 9809

तीसरा चरण	चौथा चरण	समय	रिटर्निंग अधिकारी का काम	आधार
05.11.2026 गुरुवार	16.11.2026 सोमवार	सुबह 7:00 से शाम 6:00	पंच और सरपंच का मतदान। शाम 6:00 बजे तक मतदान केन्द्र के परिसर में पहुँचे मतदाता वोट डाल सकेंगे; मतदान अधिकारी लाइन के आख़िरी मतदाता से पर्चियाँ देंगे।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 21, बिन्दु 22
		मतदान ख़त्म होते ही	ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गिनती, रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में। सरपंच की गिनती सारे बूथों की मतपेटियाँ आने पर (देरी का अपवाद शीट #21 में); सरपंच के वोट रिटर्निंग अधिकारी ख़ुद या सहायक मतदान अधिकारियों की मदद से गिनेंगे। कौन-सा मतपत्र खारिज होगा, यह फ़ैसला रिटर्निंग अधिकारी का। मतदान दलों से मतपेटियाँ और सील किए लिफ़ाफ़े: शीट #22; गिनती: शीट #21, #23 से #28।	पत्र 10090; कार्यक्रम 9836; पत्र 1323, बिन्दु 2, 4, 5; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 23, बिन्दु 3; पृष्ठ 37-38, बिन्दु 18(ii)
		हर पद की गिनती पूरी होते ही	परिणाम की घोषणा, प्ररूप-7 (परिशिष्ट-10) में; हस्ताक्षर की हुई प्रति बिन्दु 19 में लिखी पाँचों जगह। उस पद के बाकी अभ्यर्थी फिर गिनती की जगह पर न रुकें।	पत्र 1323, बिन्दु 7, 8; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 39, बिन्दु 19
		परिणाम के बाद	जीते अभ्यर्थी को शपथ, प्ररूप-11 (परिशिष्ट-18) में, ताकि वे उप-सरपंच की बैठक में आ सकें; फिर निर्वाचन प्रमाण-पत्र, और रसीद पर उनके हस्ताक्षर (शीट #29)। सरपंच की जमानत लौटाना या ज़ब्त: शीट #9।	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 39, बिन्दु 20, 21; पत्र 1323, बिन्दु 9
06.11.2026 शुक्रवार	17.11.2026 मंगलवार	सुबह 9:00 बजे से पहले	उप-सरपंच की बैठक का नोटिस जारी करना: हर चुने पंच और सरपंच को (छपे फ़ॉर्म ज़िला निर्वाचन अधिकारी से; ख़ुद न मिलें, तो घर पर चिपकाइए), और पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, मतदान से कम से कम दो घंटे पहले। तामील का रजिस्टर: शीट #31।	पत्र 20.10.2026; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 42, अध्याय-7, बिन्दु 4
		10:00 बजे	बैठक शुरू। अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी करेंगे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं। सहायक कार्मिक: शीट #30; कार्यवाही और उपस्थिति: शीट #32।	पत्र 20.10.2026; धारा 27(2) सपठित नियम 65(2)
		11:00 बजे तक	नाम निर्देशन पत्र लेना।	पत्र 20.10.2026
		11:30 बजे तक	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा।	पत्र 20.10.2026
		11:30 से 12:00 बजे	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और चुनाव प्रतीक देना।	पत्र 20.10.2026
		12:00 से 1:00 बजे	मतदान, अगर ज़रूरत हो। मतपत्र की पीठ पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर; मतदाता मतपत्र मोड़कर रिटर्निंग अधिकारी के सामने मतपेटी में डालेंगे।	पत्र 20.10.2026; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 43, अध्याय-7, बिन्दु 9, 10
		मतदान ख़त्म होते ही	गिनती और परिणाम की घोषणा, प्ररूप-7 में; वोट बराबर हों तो लॉटरी। मतपत्र और कागज़ लिफ़ाफ़ा P-40 और P-41 में (शीट #32)।	पत्र 20.10.2026; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 44, अध्याय-7, बिन्दु 12, 13
			कार्यवाही का विवरण रिटर्निंग अधिकारी लिखेंगे (शीट #32)।	नियम 66(9)
		सब काम पूरा होने पर	सारा रिकॉर्ड परिशिष्ट-15 के लिफ़ाफ़ों में; सील होने वाले लिफ़ाफ़े सील करके, ज़िला निर्वाचन अधिकारी के अधिकृत अधिकारियों को सौंपिए, और रसीद लीजिए (लिफ़ाफ़ों की सूची: शीट #2; जमा की सूची और रसीद: शीट #33)।	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 39-40, बिन्दु 23, 24(iv)

जानकारी के लिए: ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की गिनती 20.11.2026 (शुक्रवार) सुबह 8:00 बजे, ज़िला मुख्यालय पर (कार्यक्रम 9836)।

सूचनाएँ चस्पा करने की चेकलिस्ट और समय सारणी

रिटर्निंग अधिकारी, बालोतरा ज़िला: पंच, सरपंच और उप-सरपंच का चुनाव, तीसरा और चौथा चरण

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

चुनाव कार्यक्रम की तय तारीख़ पर लगनी है: ज़िला निर्वाचन अधिकारी की लोक सूचना (नियम 23 सपठित नियम 56), तीसरा चरण 19.10.2026, चौथा चरण 31.10.2026; पंचायत के सूचना पट्ट पर, और पंचायत के हर वार्ड में एक सहज दृश्य जगह पर (आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/6251, दिनांक 26.12.2019, बिन्दु 6)। ग्राम पंचायत पहुँचते ही देख लीजिए कि लगी है (सुझाव)।

क्र.	सूचना	कहाँ लगाएँ	तीसरा चरण	चौथा चरण	समय	आधार	लगाया: समय और हस्ताक्षर
1	मतदान केन्द्र किन भवनों में हैं: नियम 30(3) की सूचना (रिटर्निंग अधिकारी बनाकर प्रकाशित करेंगे), और उसके छपे लेबल	पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर; पंचायत कार्यालय न हो, तो मतदान केन्द्र के भवन पर। छपे लेबल: पंचायत कार्यालय की जगह या मतदान केन्द्र पर चिपकाइए। छपा नोटिस (परिशिष्ट-33) सामग्री में आता है: हर मतदान बूथ के लिए 1, और पंचायत कार्यालय पर लगाने को 1 अतिरिक्त।	मतदान से कुछ दिन पहले	मतदान से कुछ दिन पहले	छपे लेबल: ग्राम पंचायत पहुँचते ही	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 3, बिन्दु 7; पृष्ठ 7, अध्याय-3, बिन्दु 4, 4(i); परिशिष्ट-7, क्र. 9 (पृष्ठ 93); परिशिष्ट-33 (पृष्ठ 139)	
2	उपाबन्ध-I-B (परिशिष्ट 6-D), सिर्फ़ सरपंच पद के अभ्यर्थियों का; सबकी जानकारी के लिए	नोटिस बोर्ड पर एक प्रति।	04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	नाम निर्देशन पत्र के साथ मिलते ही (सुझाव)	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 33, बिन्दु 7	
3	नाम वापसी की हर सूचना	एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर; पंचायत कार्यालय न हो, तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसी प्रमुख जगह।	04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	सूचना मिलते ही, जितनी जल्दी हो सके (नाम वापसी दोपहर 2:00 बजे तक)	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 36, बिन्दु 13(v); नियम 28(4); कार्यक्रम 9836	
4	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, प्ररूप-5: सरपंच की, और हर वार्ड के पंच की अलग; नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में, और प्रतीक भी उसी क्रम में	वार्ड में किसी सहज दृश्य जगह पर: सरपंच की सूची हर वार्ड में 1, पंच की सूची उसी वार्ड में 1; पंचायत कार्यालय पर 1; हर अभ्यर्थी को 1। पूरी पंचायत में सब निर्विरोध चुने जाएँ, तो सिर्फ़ 2 प्रतियाँ: एक पंचायत कार्यालय पर, दूसरी ऑफ़िस कॉपी लिफ़ाफ़े में बंद।	04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	दोपहर 2:00 बजे के तुरंत बाद	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 36, बिन्दु 15; पृष्ठ 37, बिन्दु 16; नियम 29(3); कार्यक्रम 9836; आदेश 9809	
5	उप-सरपंच की बैठक का नोटिस (परिशिष्ट-29; छपे फ़ॉर्म ज़िला निर्वाचन अधिकारी से), बैठक का समय (सुबह 10:00 बजे) और स्थान लिखकर	हर चुने हुए पंच और सरपंच को, चाहे वे मौजूद हों या नहीं: ख़ुद तामील कीजिए; न मिलें, तो उनके घर पर चिपकाइए। और पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर; पंचायत कार्यालय न हो या बैठक कहीं और हो, तो किसी सहज दृश्य जगह पर। जो सरपंच और पंच वहाँ मौजूद हों, उन्हें बता भी दीजिए।	06.11.2026 शुक्रवार	17.11.2026 मंगलवार	सुबह 9:00 बजे से पहले (पत्र 20.10.2026); नियम: मतदान से कम से कम 2 घंटे पहले	पत्र 20.10.2026; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 42, अध्याय-7, बिन्दु 4; नियम 65(2)	

- परिणाम (प्ररूप-7, परिशिष्ट-10): हस्ताक्षर की हुई प्रति इन पाँच जगह भेजिए: आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर; ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत); नव-निर्वाचित सरपंच; पंचायत कार्यालय (यदि कोई हो); पंचायत समिति कार्यालय (मार्गदर्शिका, पृष्ठ 39, बिन्दु 19)।
- तारीख़ें: तीसरा चरण आयोग के पत्र क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/10090, दिनांक 06.10.2026 से; चौथा चरण कार्यक्रम 9836 से; उप-सरपंच पत्र 20.10.2026 से। कार्यक्रम 9836 = आयोग का चुनाव कार्यक्रम, क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9836-44, दिनांक 03.10.2026। पत्र 20.10.2026 = आयोग का पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/स्पे. 1, दिनांक 20.10.2026। नियम = राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994। मार्गदर्शिका = मतपेटी वाली मार्गदर्शिका (पृष्ठ = छपा पृष्ठ नंबर)।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

RO बैग: सामग्री मिलान सूची

भण्डार से मिली सामग्री गिनकर लिखिए; कम मिले, तो उसी समय भण्डार से माँग लीजिए।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क. रिटर्निंग अधिकारी के लिफ़ाफ़े (मार्गदर्शिका की लिफ़ाफ़ों की सूची)

लिफ़ाफ़ा	क्या रखना है	सील	मार्गदर्शिका में संख्या	मिले
P-1	बड़ा लिफ़ाफ़ा: पंच-सरपंच के नाम निर्देशन पत्र, चुनाव लड़ने वालों की सूचियाँ, मतदाताओं की आयु घोषणाएँ व सूची, अभिकर्ताओं के फार्म, कार्यकारी मतदाता सूचियाँ	नहीं	1	
P-7	चुनाव प्रतीकों की अतिरिक्त स्लिपें	नहीं	1	
P-8	वैध मतपत्र: सरपंच	हाँ	1	
P-9	वैध मतपत्र: पंच	हाँ	5	
P-28	गिनती में खारिज मतपत्र: सरपंच	हाँ	1	
P-29	गिनती में खारिज मतपत्र: पंच	हाँ	1	
P-10	सांख्यिकीय आँकड़े: पंच का फार्म, सरपंच का फार्म, बूथवार महिला-पुरुष मतदान	नहीं	1	
P-11	परिणाम पत्र, ज़िला निर्वाचन अधिकारी को जमा कराने के लिए	नहीं	1	
P-33	पिंक पेपर सील का लेखा, बची और ख़राब पेपर सीलें, बचे फार्म	नहीं	1	
P-42	प्रतिभूति राशि की रसीद बही, ज़ब्त राशि और प्रपत्र-2	नहीं		
डाक	परिणाम पत्र भेजने के लिफ़ाफ़े			
P-40	उप-सरपंच चुनाव: वैध-अवैध मतपत्र	हाँ		
P-41	उप-सरपंच चुनाव के बाकी कागज़	हाँ		

ख. प्ररूप, सील और बाकी सामग्री (कोष्ठक में अध्याय और बिन्दु मार्गदर्शिका के)

क्र.	सामग्री	किस काम की	मिली	टिप्पणी
1	नाम निर्देशन पत्र: प्ररूप-4 (परिशिष्ट 6-A)	पंच और सरपंच; हर अभ्यर्थी को निःशुल्क सेट		
2	प्ररूप 4-घ (परिशिष्ट 6-B)	हर नाम निर्देशन पत्र के साथ		
3	शौचालय की घोषणा (परिशिष्ट 6-C)	पंच और सरपंच		
4	उपाबन्ध I-B (परिशिष्ट 6-D)	सिर्फ़ सरपंच		
5	सांख्यिकी फार्म (परिशिष्ट 6-E)	हर अभ्यर्थी: सरपंच और पंच		
6	नाम वापसी की सूचना (परिशिष्ट-27)	सरपंच पद का छपा मॉडल फ़ॉर्म; दोनों पदों के लिए मॉडल कार्यालय शीट #17		
7	प्ररूप-5 (परिशिष्ट 8-A सरपंच, 8-B पंच)	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची		
8	प्ररूप-6 (परिशिष्ट-9)	निविदत्त मतों की सूची		
9	प्ररूप-7 (परिशिष्ट-10)	परिणाम		
10	30(3) का नोटिस (परिशिष्ट-33)	मतदान केन्द्र पर लगने वाला नोटिस		
11	प्ररूप-9 (परिशिष्ट-16) और प्ररूप-10 (परिशिष्ट-17)	सरपंच के अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता		
12	प्ररूप-11 (परिशिष्ट-18) और निर्वाचन प्रमाण-पत्र	जीते अभ्यर्थियों की शपथ और प्रमाण-पत्र		
13	प्रपत्र-1 और प्रपत्र-2 (परिशिष्ट-32)	सरपंच की प्रतिभूति राशि: वापसी और ज़ब्ती (मॉडल कार्यालय शीट #9)		
14	उप-सरपंच के खाली मतपत्र	ज़िला निर्वाचन अधिकारी से मिलेंगे (अध्याय-7, बिन्दु 9)		
15	उप-सरपंच की बैठक की सूचना के छपे फार्म	हर चुने पंच और सरपंच को, और नोटिस बोर्ड पर (अध्याय-7, बिन्दु 4)		
16	रिटर्निंग अधिकारी की सील	उप-सरपंच के मतपत्र पर सील और हस्ताक्षर (नियम 59(13)(ग), 66(7))		
17	रीजेक्शन सील	खारिज मतपत्र पर कारण, सील, RO के हस्ताक्षर (पत्र 1323, बिन्दु 5)		
18	ऐरोक्रास मार्कसील	उप-सरपंच के मतदान में मतदाता को दी जाएगी (अध्याय-7, बिन्दु 10)		
19	रबर बैंड	मतपत्रों के 50-50 के बंडल		
20	बूथों की सामग्री (RO से मतदान दलों को)	पूरी सूची परिशिष्ट-7 में (अध्याय-4, बिन्दु 1)		

मिलान करने वाले कार्मिक: ..... हस्ताक्षर, रिटर्निंग अधिकारी: .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

ज़रूरी संपर्क नंबर

अधिकारी, कार्यालय, नियंत्रण कक्ष और बूथ के प्रगणक (BLO)। चुनाव से पहले भरकर रिटर्निंग अधिकारी की मेज़ पर रखिए।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

अधिकारी और कार्यालय

क्र.	पद / कार्यालय	नाम	मोबाइल नं.	कार्यालय फ़ोन / दूसरा नंबर
1	ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं ज़िला कलेक्टर			
2	ज़िला निर्वाचन कार्यालय का नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम)			
3	उपखण्ड अधिकारी			
4	तहसीलदार			
5	विकास अधिकारी, पंचायत समिति			
6	ज़ोनल मजिस्ट्रेट (ZO)			
7	सेक्टर मजिस्ट्रेट / सेक्टर अधिकारी (SO)			
8	सहायक रिटर्निंग अधिकारी			
9	थानाधिकारी, पुलिस थाना			
10	पुलिस नियंत्रण कक्ष			
11	ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत			
12	वाहन प्रभारी			
13	नज़दीकी अस्पताल / एम्बुलेंस			
14				
15				
16				

बूथ के प्रगणक (BLO): हर बूथ की एक पंक्ति (मतदान दल के हर कार्मिक का नंबर शीट #4 में)

बूथ सं.	मतदान केन्द्र	प्रगणक (BLO) का नाम	मोबाइल नं.	दूसरा नंबर

भरी हुई सूची कार्यालय के काम के लिए है; इसमें लोगों के मोबाइल नंबर हैं, इसलिए इसे नोटिस बोर्ड पर न लगाइए।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

मतदान दलों के कार्मिकों की संपर्क सूची

हर बूथ के लिए 5 व्यक्तियों का दल: एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी (आयोग का पत्र 5096, दिनांक 26.12.2025)।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क्र.	पद	कार्मिक का नाम	पद व कार्यालय	मोबाइल नं.
बूथ सं. ..... मतदान केन्द्र का नाम				
1	मतदान अधिकारी (PO)			
2	सहायक मतदान अधिकारी-1 (APO-1)			
3	सहायक मतदान अधिकारी-2 (APO-2)			
4	सहायक मतदान अधिकारी-3 (APO-3)			
5	सहायक मतदान अधिकारी-4 (APO-4)			
बूथ सं. ..... मतदान केन्द्र का नाम				
1	मतदान अधिकारी (PO)			
2	सहायक मतदान अधिकारी-1 (APO-1)			
3	सहायक मतदान अधिकारी-2 (APO-2)			
4	सहायक मतदान अधिकारी-3 (APO-3)			
5	सहायक मतदान अधिकारी-4 (APO-4)			
बूथ सं. ..... मतदान केन्द्र का नाम				
1	मतदान अधिकारी (PO)			
2	सहायक मतदान अधिकारी-1 (APO-1)			
3	सहायक मतदान अधिकारी-2 (APO-2)			
4	सहायक मतदान अधिकारी-3 (APO-3)			
5	सहायक मतदान अधिकारी-4 (APO-4)			
बूथ सं. ..... मतदान केन्द्र का नाम				
1	मतदान अधिकारी (PO)			
2	सहायक मतदान अधिकारी-1 (APO-1)			
3	सहायक मतदान अधिकारी-2 (APO-2)			
4	सहायक मतदान अधिकारी-3 (APO-3)			
5	सहायक मतदान अधिकारी-4 (APO-4)			
बूथ सं. ..... मतदान केन्द्र का नाम				
1	मतदान अधिकारी (PO)			
2	सहायक मतदान अधिकारी-1 (APO-1)			
3	सहायक मतदान अधिकारी-2 (APO-2)			
4	सहायक मतदान अधिकारी-3 (APO-3)			
5	सहायक मतदान अधिकारी-4 (APO-4)			

बूथ ज़्यादा हों तो इस पेज की और प्रति लीजिए। भरी हुई सूची कार्यालय के काम के लिए है; इसे नोटिस बोर्ड पर न लगाइए।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

कार्यालय आदेश: नाम निर्देशन दिवस का कार्य वितरण

क्रमांक: ..... दिनांक: .....

ग्राम पंचायत ..... के सरपंच एवं वार्ड पंचों के चुनाव में नाम निर्देशन पत्र लेना, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी, चुनाव प्रतीकों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन, सब एक ही दिन, दिनांक ..... को पंचायत मुख्यालय पर ..... (स्थान) में होंगे (आयोग का आदेश क्रमांक एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/9809, दिनांक 02.10.2026)। समय (आयोग का चुनाव कार्यक्रम, क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9836-44, दिनांक 03.10.2026):

कार्य	समय
नाम निर्देशन पत्र लेना	प्रातः 8:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
संवीक्षा	पूर्वाह्न 11:30 बजे से
नाम वापसी	अपराह्न 2:00 बजे तक
चुनाव प्रतीकों का आवंटन और प्ररूप-5 का प्रकाशन	अपराह्न 2:00 बजे के तुरन्त बाद

इस कार्य के लिए निम्न कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाती है (मदद के लिए मतदान दल के वे कार्मिक, जो मतदान अधिकारी की योग्यता रखते हों: आदेश 9809):

क्र.	ज़िम्मेदारी	कार्मिक का नाम व पद	मुख्य कार्य
1	सरपंच नामांकन काउंटर		• सरपंच पद का नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप-4) अभ्यर्थी से लेकर रिटर्निंग अधिकारी के सामने रखना। पत्र अभ्यर्थी स्वयं ही देगा; पंच-सरपंच चुनाव में प्रस्तावक का प्रावधान नहीं है। • रिटर्निंग अधिकारी पत्र पर अपनी हस्तलिपि से क्रम संख्याएँ और प्राप्ति का समय लिखेंगे, और पहचान कराने वाला कोई साथ आया हो तो उसका उल्लेख पत्र के तीसरे पैरा में करेंगे; इसमें सहायता करना।
2	वार्ड पंच नामांकन काउंटर		• वार्ड पंच के नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी से स्वयं लेकर रिटर्निंग अधिकारी के सामने रखना। • पत्रों को वार्डवार अलग रखना; हर पत्र पर वार्ड का क्रम संख्यांक और उस वार्ड के पत्र का क्रम संख्यांक रिटर्निंग अधिकारी लिखेंगे।
3	जमानत और रसीद (केवल सरपंच)		• सरपंच पद की जमानत: सामान्य ₹500; SC, ST, OBC और महिला ₹250 (SC, ST, OBC के लिए जाति / वर्ग का प्रमाण-पत्र ज़रूरी)। • कोई एक से ज़्यादा पत्र भरे, तब भी जमानत एक ही बार। निर्धारित रसीद बुक से रसीद देना; रसीद बुक और राशि लिफ़ाफ़ा P-42 के लिए सँभालना। • वार्ड पंच पद पर जमानत नहीं है।
4	उपाबन्ध I-B का शपथ पत्र (केवल सरपंच)		• ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर उपाबन्ध I-B लेना, जो न्यायाधीश, न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शपथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित हो; कोई कॉलम खाली हो तो तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को बताना (मीमो)। • जानकारी सही है या गलत, यह जाँचना रिटर्निंग अधिकारी का काम नहीं; हर शपथ पत्र की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाना।
5	प्ररूप 4-घ		• हर अभ्यर्थी (सरपंच और पंच) से प्ररूप 4-घ लेना; 4-घ के बिना पत्र अधूरा है। • 4-घ के हर पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी देखना। बिन्दु 3 की संतान वाली सूचना देना ज़रूरी नहीं (आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10055, दिनांक 06.10.2026)।
6	शौचालय की घोषणा और सांख्यिकी फार्म		• हर अभ्यर्थी से शौचालय की घोषणा / अंडरटेकिंग (परिशिष्ट-6-सी) लेना; इसे प्रमाणित कराने की ज़रूरत नहीं। • हर अभ्यर्थी (सरपंच और पंच) से सांख्यिकी सूचना फार्म (परिशिष्ट-6-E) भरवाना (मार्गदर्शिका, पृष्ठ 26, बिन्दु 2)। यह न दे तो नामांकन खारिज नहीं होगा, फिर भी जहाँ तक हो भरवाना (आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10055, दिनांक 06.10.2026, बिन्दु 9)।

क्र.	ज़िम्मेदारी	कार्मिक का नाम व पद	मुख्य कार्य
7	प्ररूप और कॉलम की जाँच		• हाथ से लिखे नाम निर्देशन पत्र और प्ररूप न लेना। आयोग के छपे प्ररूप न मिलें तो फोटो प्रति चलेगी; टाइप किया प्ररूप तभी, जब सारी एंट्री हूबहू हों। • प्ररूप-4 और 4-घ का कोई कॉलम खाली न हो; छूट केवल संतान संबंधी योग्यता वाले हिस्से को। खाली कॉलम मिले तो मीमो रजिस्टर में लिखकर रिटर्निंग अधिकारी से मीमो दिलवाना।
8	रसीद और संवीक्षा की सूचना		• नाम निर्देशन पत्र की रसीद (प्ररूप-4 में ही छपी है) रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर से अभ्यर्थी को देना। • साथ में संवीक्षा का समय (पूर्वाह्न 11:30 बजे से), तारीख और स्थान बताना।
9	रजिस्टर और रिकॉर्ड		• नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति रजिस्टर, मीमो रजिस्टर और नाम वापसी की सूची रखना। • सारे पत्र और उनके कागज़ वार्डवार और सरपंच के अलग फाइल करना; ये लिफ़ाफ़ा P-1 में जाएँगे, जो सील नहीं होता।
10	फॉर्म वितरण, सहायता और नोटिस बोर्ड		• फॉर्म का सेट निःशुल्क देना: प्ररूप-4, प्ररूप 4-घ, शौचालय की घोषणा, सांख्यिकी फार्म; सरपंच के अभ्यर्थी को उपाबन्ध I-B भी। फॉर्म वितरण रजिस्टर रखना। • नोटिस बोर्ड पर लगाना: प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की सूची, उपाबन्ध I-B की प्रतियाँ, संवीक्षा का परिणाम, नाम वापसी के नोटिस की प्रतियाँ, और प्ररूप-5।

11:00 बजे के बाद

- संवीक्षा (पूर्वाह्न 11:30 बजे से): कार्मिक 1 और 2 पत्र वार्डवार क्रम से रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। संवीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं मौजूद रह सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। रिटर्निंग अधिकारी हर पत्र पर मंजूर या नामंजूर, और नामंजूरी का संक्षिप्त कारण लिखेंगे; कार्मिक 9 परिणाम की सूची बनाएँगे और कार्मिक 10 उसे नोटिस बोर्ड पर लगाएँगे।
- नाम वापसी (अपराह्न 2:00 बजे तक): नोटिस अभ्यर्थी स्वयं आकर दो प्रतियों में देगा; किसी दूसरे का लाया नोटिस, या समय निकलने के बाद का नोटिस, मान्य नहीं। रिटर्निंग अधिकारी नोटिस के नीचे प्राप्ति का समय लिखकर हस्ताक्षर करेंगे; एक प्रति तुरंत नोटिस बोर्ड पर लगेगी।
- 2:00 बजे के तुरन्त बाद: सरपंच (परिशिष्ट 8-A) और हर वार्ड के पंच (परिशिष्ट 8-B) की अलग-अलग सूची प्ररूप-5 में, नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में, और प्रतीक उसी क्रम में। प्रति: हर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को; सरपंच की सूची हर वार्ड में, पंच की सूची संबंधित वार्ड में; पंचायत कार्यालय पर; और ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को।
- प्ररूप-5 लगते ही: मतदान दलों के कार्मिक हर अभ्यर्थी का शुद्ध नाम उसके प्रतीक के सामने काले बॉल पैन से मतपत्र पर लिखेंगे। सरपंच का मतपत्र सफ़ेद, पंच का गुलाबी; नोटा का स्टीकर आख़िरी अभ्यर्थी के बाद अगले स्थान पर (आदेश 9809)।
- सभी कार्मिक दिनांक ..... को प्रातः ..... बजे पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होंगे। पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद कोई नाम निर्देशन पत्र नहीं लिया जाएगा।

हस्ताक्षर .....
रिटर्निंग अधिकारी
ग्राम पंचायत .....

प्रतिलिपि: 1. ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), ... 2. ..... 3. संबंधित कार्मिक, पालना हेतु।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

कार्यालय आदेश: नामांकन सहायता डेस्क (हेल्प डेस्क)

क्रमांक: ..... दिनांक: .....

नाम निर्देशन के दिन, दिनांक ..... को, अभ्यर्थियों की मदद के लिए पंचायत मुख्यालय पर एक सहायता डेस्क रहेगी। यह कार्यालय की व्यवस्था है; आयोग का इसके लिए कोई आदेश नहीं मिला। डेस्क पर ये कार्मिक रहेंगे:

क्र.	ज़िम्मेदारी	कार्मिक का नाम व पद	क्या देखेंगे
1	प्रभारी		अभ्यर्थी इसी पंचायत का मतदाता है, और नाम व क्रम संख्या मतदाता सूची से मिलती है; संवीक्षा के दिन आयु 21 वर्ष पूरी (मार्गदर्शिका)। पत्र अभ्यर्थी स्वयं देगा; पंच-सरपंच के पत्र में प्रस्तावक नहीं होता (मार्गदर्शिका, बिन्दु 10)।
2	सहायक-1: पंच और सरपंच के पत्र		प्ररूप-4 का कोई कॉलम खाली नहीं (संतान संबंधी योग्यता वाला हिस्सा छोड़कर)। प्ररूप 4-घ साथ है; बिन्दु 3 की संतान वाली सूचना ज़रूरी नहीं। शौचालय की घोषणा (परिशिष्ट-6-सी) है; इसे प्रमाणित कराना ज़रूरी नहीं (आदेश 10055)। प्ररूप-4 पर, और 4-घ के हर पृष्ठ पर, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी।
3	सहायक-2: सिर्फ़ सरपंच		उपाबन्ध I-B का शपथ पत्र ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, न्यायाधीश, न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शपथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित, कोई कॉलम खाली नहीं। जमानत: सामान्य ₹500; SC, ST, OBC और महिला ₹250। SC, ST, OBC के लिए जाति / वर्ग का प्रमाण-पत्र ज़रूरी।
4	सहायक-3: छपे फॉर्म और बाकी कागज़		आयोग का छपा प्ररूप; न मिला हो, तभी उसकी फोटो प्रति; टाइप किया हो तो सारी एंट्री हूबहू; हाथ से लिखा नहीं। परिशिष्ट-6-E (सरपंच और पंच, दोनों का) पर फोटो। सांख्यिकी फार्म न हो, तो भी पत्र खारिज नहीं होगा (आदेश 10055, बिन्दु 9)।

- डेस्क सिर्फ़ मदद करेगी। पत्र अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी को स्वयं देगा।
- पत्र मंजूर या नामंजूर करने का फ़ैसला संवीक्षा में रिटर्निंग अधिकारी का है (मार्गदर्शिका, बिन्दु 12; नियम 27), इसलिए डेस्क पत्र पर 'सही' या 'जाँचा गया' जैसी कोई मोहर नहीं लगाएगी।

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

प्रतिलिपि: 1. ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), ... 2. संबंधित कार्मिक, पालना हेतु।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

नामांकन फॉर्म वितरण रजिस्टर

फॉर्म का सेट निःशुल्क दिया जाता है। हर सेट में प्ररूप 4-घ ज़रूर हो; सरपंच के सेट में उपाबन्ध I-B भी।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क्र.	दिनांक व समय	फॉर्म लेने वाले का नाम व मोबाइल नं.	पिता / पति का नाम	मतदाता सूची: वार्ड सं. व क्रम सं.	पद: सरपंच / पंच (वार्ड सं.)	प्ररूप-4	प्ररूप 4-घ	शौचालय घोषणा (6-सी)	सांख्यिकी फार्म	उपाबन्ध I-B (सरपंच)	फॉर्म लेने वाले के हस्ताक्षर	फॉर्म देने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर

आज बाँटे गए सेट: सरपंच ..... वार्ड पंच ..... कुल ..... बाँटने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति रजिस्टर

पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ..... (हर वार्ड का और सरपंच का अलग पृष्ठ) पत्र लेने का समय: प्रातः 8:00 से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

पत्र क्र.	प्राप्ति का समय	अभ्यर्थी का नाम व मोबाइल नं.	पिता / पति का नाम	मतदाता सूची: वार्ड सं. व क्रम सं.	वर्ग (सामान्य / SC / ST / OBC), महिला	प्ररूप-4	4-घ	शौचालय घोषणा	सांख्यिकी फार्म	I-B (सरपंच)	जमानत: राशि व रसीद सं. (सरपंच)	मीमो दिया (क्र.)	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	पत्र लेने वाले कार्मिक

प्ररूप-4 से I-B तक के कॉलम में ✓ लगाइए। सरपंच की जमानत: सामान्य ₹500; SC, ST, OBC और महिला ₹250। वार्ड पंच पर जमानत नहीं। सांख्यिकी फार्म न हो तो भी पत्र खारिज नहीं होता (आदेश 10055, बिन्दु 9)। रजिस्टर में नाम चढ़ना पत्र मंजूर होने का प्रमाण नहीं; फ़ैसला संवीक्षा में होता है।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

सरपंच की प्रतिभूति राशि (जमानत): जमा, वापसी और ज़ब्ती रजिस्टर

राशि: सामान्य वर्ग ₹500; महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ₹250 (नियम 56(3); आदेश 10055)।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

कुल वैध वोट (सरपंच) ..... ÷ 6 = ... इससे कम वोट पाने वाले हारे अभ्यर्थी की राशि ज़ब्त होगी; इतने या इससे ज़्यादा वोट हों, तो लौटेगी।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	रसीद सं. व दिनांक	राशि ₹ और वर्ग	मिले वैध वोट	राशि का क्या होगा	प्रपत्र-1 का आवेदन मिला (दिनांक), मूल रसीद लगी	राशि लौटाई (दिनांक)	राशि पाने वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
1					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			
2					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			
3					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			
4					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			
5					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			
6					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			
7					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			
8					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			
9					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			
10					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			
11					☐ लौटेगी ☐ ज़ब्त			

- चुना गया अभ्यर्थी, और कुल वैध वोटों का छठा हिस्सा या उससे ज़्यादा वोट पाने वाला अभ्यर्थी: राशि लौटेगी (नियम 56(3); मार्गदर्शिका, बिन्दु 20)।
- नाम वापस लेने वाले अभ्यर्थी की राशि भी लौटेगी। एक अभ्यर्थी ने एक से ज़्यादा बार राशि जमा की हो, तो एक से ज़्यादा राशि ज़ब्त नहीं होगी।
- राशि लेने के लिए अभ्यर्थी प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-32) में आवेदन देगा, साथ में मूल रसीद; रिटर्निंग अधिकारी प्रमाणित करेंगे, अभ्यर्थी हस्ताक्षर करेगा।
- ज़ब्त राशि और जो राशि न लौटाई जा सकी, प्रपत्र-2 (परिशिष्ट-32) के साथ ज़िला निर्वाचन अधिकारी को, निर्धारित लिफ़ाफ़े में, काउंटर पर जमा (मार्गदर्शिका, बिन्दु 20)।
- ज़ब्त और न लौटाई गई राशि का लेखा प्रपत्र-3 में, दो प्रतियों में, यात्रा भत्ता प्रकोष्ठ में जमा; दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद लीजिए (आयोग का परिपत्र प.2(8)लेखा/रानिआ/94/2178, दिनांक 20.06.2019, बिन्दु 1(iii))।
- लिफ़ाफ़ा P-42: रसीद बही, ज़ब्त राशि और प्रपत्र-2; यह लिफ़ाफ़ा सील नहीं होगा (मार्गदर्शिका की लिफ़ाफ़ों की सूची)।

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत ....

पंचायत समिति .... ज़िला ....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

मीमो: खाली कॉलम

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्रारूप नहीं।

मीमो क्रमांक:.. दिनांक:... समय:..

प्रति,
श्री / श्रीमती ....
अभ्यर्थी: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. .... ग्राम पंचायत...

विषय: नाम निर्देशन पत्र / घोषणा / शपथ पत्र में खाली कॉलम।

आपने आज .... बजे जो नाम निर्देशन पत्र (पत्र क्र. ....) दिया है, उसमें और उसके साथ लगे कागज़ों में ये कॉलम खाली पाए गए हैं (संतान संबंधी योग्यता वाले कॉलम इनमें नहीं गिने जाते):

क्र.	कागज़ (प्ररूप-4 / प्ररूप 4-घ / उपाबन्ध I-B (केवल सरपंच) / अन्य)	कॉलम / बिन्दु सं.	क्या कमी है

आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10055, दिनांक 06.10.2026 के अनुसार खाली कॉलम भरने होंगे। घोषणा या शपथ पत्र का कॉलम खाली है, तो पहले जमा किए शपथ पत्र में ही सुधार करना विधिपूर्ण नहीं है; उस कमी के लिए अलग से शपथ पत्र देना होगा। कृपया दिनांक .... को .... बजे तक कमी पूरी करें।

मीमो के बाद भी कॉलम न भरा गया, या ज़रूरी अलग शपथ पत्र नहीं दिया गया, तो नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा।

हस्ताक्षर ....
रिटर्निंग अधिकारी
ग्राम पंचायत ....

✂ -

ऊपर का हिस्सा अभ्यर्थी को दें; नीचे का हिस्सा कार्यालय में रहेगा।

मीमो क्र. .... की प्रति प्राप्त की।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी.. दिनांक .... समय ....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत ....

पंचायत समिति .... ज़िला ....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

मीमो: खाली कॉलम

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्रारूप नहीं।

मीमो क्रमांक:.. दिनांक:... समय:..

प्रति,
श्री / श्रीमती ....
अभ्यर्थी: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. .... ग्राम पंचायत...

विषय: नाम निर्देशन पत्र / घोषणा / शपथ पत्र में खाली कॉलम।

आपने आज .... बजे जो नाम निर्देशन पत्र (पत्र क्र. ....) दिया है, उसमें और उसके साथ लगे कागज़ों में ये कॉलम खाली पाए गए हैं (संतान संबंधी योग्यता वाले कॉलम इनमें नहीं गिने जाते):

क्र.	कागज़ (प्ररूप-4 / प्ररूप 4-घ / उपाबन्ध I-B (केवल सरपंच) / अन्य)	कॉलम / बिन्दु सं.	क्या कमी है

आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10055, दिनांक 06.10.2026 के अनुसार खाली कॉलम भरने होंगे। घोषणा या शपथ पत्र का कॉलम खाली है, तो पहले जमा किए शपथ पत्र में ही सुधार करना विधिपूर्ण नहीं है; उस कमी के लिए अलग से शपथ पत्र देना होगा। कृपया दिनांक .... को .... बजे तक कमी पूरी करें।

मीमो के बाद भी कॉलम न भरा गया, या ज़रूरी अलग शपथ पत्र नहीं दिया गया, तो नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा।

हस्ताक्षर ....
रिटर्निंग अधिकारी
ग्राम पंचायत ....

✂ -

ऊपर का हिस्सा अभ्यर्थी को दें; नीचे का हिस्सा कार्यालय में रहेगा।

मीमो क्र. .... की प्रति प्राप्त की।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी.. दिनांक .... समय ....

मॉडल कार्यालय शीट #10 सरपंच एवं वार्ड पंच का चुनाव, 2026 · रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय · mockpoll.com

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

मीमो रजिस्टर

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

मीमो क्र.	दिनांक व समय	अभ्यर्थी का नाम	पद / वार्ड सं.	क्या कमी	कमी पूरी हुई (समय)	टिप्पणी

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

अभ्यर्थी को दिए कागज़ों का पावती रजिस्टर

अभ्यर्थी को जो भी कागज़ दिया जाए (मीमो, प्ररूप-5 की प्रति, या कोई और सूचना), उसकी पावती यहाँ लीजिए। प्ररूप-5 की प्रति हर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को दी जाती है।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क्र.	दिनांक व समय	अभ्यर्थी का नाम	पद: सरपंच / वार्ड सं.	क्या दिया (मीमो / प्ररूप-5 की प्रति / अन्य)	मीमो या पत्र क्र.	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा	देने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर	टिप्पणी

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

सूचना

प्राप्त नाम निर्देशन पत्र

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

ग्राम पंचायत ..... पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ..... दिनांक: .....

क्र.	पत्र क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	प्राप्ति का समय

आज प्रातः 8:00 से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक ऊपर लिखे नाम निर्देशन पत्र मिले।

संवीक्षा: आज पूर्वाह्न 11:30 बजे से, स्थान .....। संवीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं मौजूद रह सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

सूचना लगाने का समय .....

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

संवीक्षा जाँच-सूची

हर नाम निर्देशन पत्र के लिए अलग पन्ना। संवीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे से।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं..... पत्र क्र. ..... प्राप्ति का समय .....

अभ्यर्थी का नाम ..... पिता / पति का नाम .....

जाँचने वाले कार्मिक..... (कार्मिक कमी लिखें; मंजूर या नामंजूर का फ़ैसला रिटर्निंग अधिकारी करेंगे।)

क्र.	जाँच का बिन्दु	हाँ	नहीं	टिप्पणी
सभी अभ्यर्थी				
1	पत्र अभ्यर्थी ने स्वयं, प्रातः 8:00 से 11:00 बजे के बीच, तय स्थान पर दिया।			
2	आयोग का छपा प्ररूप है; छपा प्ररूप न मिला हो, तभी उसकी फोटो प्रति। हाथ से लिखा नहीं। टाइप किया हो तो सारी एंट्री हूबहू हैं।			
3	प्ररूप-4 का कोई कॉलम खाली नहीं (संतान संबंधी योग्यता वाला हिस्सा छोड़कर)।			
4	प्ररूप 4-घ साथ है, और उसके हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी है। बिन्दु 3 की संतान वाली सूचना ज़रूरी नहीं।			
5	प्ररूप-4 और 4-घ पर हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभ्यर्थी की अपनी और असली है।			
6	शौचालय की घोषणा / अंडरटेकिंग (परिशिष्ट-6-सी) है। इसे प्रमाणित कराना ज़रूरी नहीं।			
7	सांख्यिकी सूचना फार्म (परिशिष्ट-6-E) है; यह सरपंच और पंच, दोनों से लेना है। न हो तो भी पत्र खारिज नहीं होगा (आदेश 10055, बिन्दु 9)।			
8	अभ्यर्थी इसी पंचायत का मतदाता है, और वही व्यक्ति है जिसका नाम और क्रम संख्या पत्र में लिखी है। क्रम सं. या वार्ड सं. गलत हो तो उसी समय ठीक करवाई।			
9	संवीक्षा के दिन आयु 21 वर्ष पूरी है।			
10	आरक्षित सीट हो तो अभ्यर्थी उसी वर्ग का है।			
11	केंद्र / राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का, या राज्य सरकार से नियंत्रित या वित्त पोषित विश्वविद्यालय, निगम, संस्था, उपक्रम या सहकारी समिति का वैतनिक (पूर्णकालिक या अंशकालिक) कर्मचारी नहीं है, और किसी पंचायती राज संस्था में वैतनिक या लाभ का पद नहीं रखता। कर्मचारी था, तो त्यागपत्र की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति है, और वह आदेश संवीक्षा की तारीख से पहले का है, उसी दिन का नहीं।			
12	घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है, और परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता (धारा 19)।			
13	अनुच्छेद 191, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, 8-क, 9, 9-क, 10 और 10-क और पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 की कोई और अपात्रता नहीं है।			
14	कोई कॉलम खाली मिला तो मीमो दिया (क्र. .....), और कॉलम भरा गया; घोषणा / शपथ पत्र का कॉलम खाली था, तो अलग शपथ पत्र आया।			
केवल सरपंच				
15	उपाबन्ध I-B का शपथ पत्र ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर है, न्यायाधीश / मजिस्ट्रेट / शपथ कमिश्नर / नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित है, और कोई कॉलम खाली नहीं। (I-B न हो तो पत्र खारिज।)			
16	जमानत जमा है: ₹500 / ₹250 (SC, ST, OBC का प्रमाण-पत्र; या महिला), रसीद सं. .....। (जमा न हो तो पत्र खारिज।)			

निर्णय: मंजूर / नामंजूर नामंजूरी का संक्षिप्त कारण (पत्र पर भी लिखें):.....

याद रखें: किसी के कई पत्रों में से एक भी मंजूर हो, तो वह अभ्यर्थी बना रहेगा। कई सीटों पर नामांकन भरने के कारण पत्र खारिज न करें। संवीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं मौजूद रह सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

समय .....

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

संवीक्षा जाँच-सूची

ग्राम पंचायत ..... · संवीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे से

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ..... पत्र क्र. .....

प्राप्ति का समय ..... जाँचने वाले कार्मिक .....

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता / पति का नाम .....

कार्मिक कमी लिखें; मंजूर या नामंजूर का फ़ैसला रिटर्निंग अधिकारी करेंगे।

क्र.	जाँच का बिन्दु	हाँ	नहीं	टिप्पणी
सभी अभ्यर्थी				
1	पत्र अभ्यर्थी ने स्वयं, प्रातः 8:00 से 11:00 बजे के बीच, तय स्थान पर दिया।			
2	आयोग का छपा प्ररूप; छपा न मिला हो, तभी उसकी फोटो प्रति। हाथ से लिखा नहीं; टाइप किया हो तो सारी एंट्री हूबहू।			
3	प्ररूप-4 का कोई कॉलम खाली नहीं (संतान संबंधी योग्यता वाला हिस्सा छोड़कर)।			
4	प्ररूप 4-घ साथ है, हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी। बिन्दु 3 की संतान वाली सूचना ज़रूरी नहीं।			
5	प्ररूप-4 और 4-घ पर हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभ्यर्थी की अपनी और असली।			
6	शौचालय की घोषणा / अंडरटेकिंग (परिशिष्ट-6-सी) है; प्रमाणित कराना ज़रूरी नहीं।			
7	सांख्यिकी सूचना फार्म (परिशिष्ट-6-E), सरपंच और पंच दोनों से। न हो तो भी पत्र खारिज नहीं (आदेश 10055, बिन्दु 9)।			
8	अभ्यर्थी इसी पंचायत का मतदाता, और वही व्यक्ति जिसका नाम और क्रम सं. पत्र में है। क्रम सं. या वार्ड सं. गलत हो तो उसी समय ठीक करवाई।			
9	संवीक्षा के दिन आयु 21 वर्ष पूरी है।			
10	आरक्षित सीट हो तो अभ्यर्थी उसी वर्ग का है।			
11	केंद्र / राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, या राज्य सरकार से नियंत्रित या वित्त पोषित विश्वविद्यालय, निगम, संस्था, उपक्रम या सहकारी समिति का वैतनिक (पूर्णकालिक या अंशकालिक) कर्मचारी नहीं; किसी पंचायती राज संस्था में वैतनिक या लाभ का पद नहीं। कर्मचारी था, तो त्यागपत्र की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति है, आदेश संवीक्षा की तारीख से पहले का, उसी दिन का नहीं।			
12	घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय; परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता (धारा 19)।			
13	अनुच्छेद 191, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, 8-क, 9, 9-क, 10, 10-क और पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 की कोई और अपात्रता नहीं।			
14	कॉलम खाली मिला तो मीमो दिया (क्र. .....), कॉलम भरा गया; घोषणा / शपथ पत्र का कॉलम खाली था तो अलग शपथ पत्र आया।			
केवल सरपंच				
15	उपाबन्ध I-B का शपथ पत्र: ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, न्यायाधीश / मजिस्ट्रेट / शपथ कमिश्नर / नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित, कोई कॉलम खाली नहीं। (I-B न हो तो पत्र खारिज।)			
16	जमानत जमा: ₹500 / ₹250 (SC, ST, OBC का प्रमाण-पत्र; या महिला), रसीद सं. .....। (जमा न हो तो पत्र खारिज।)			

निर्णय: मंजूर / नामंजूर

नामंजूरी का संक्षिप्त कारण (पत्र पर भी लिखें): .....

.....

समय ..... हस्ताक्षर, रिटर्निंग अधिकारी .....

याद रखें: किसी के कई पत्रों में से एक भी मंजूर हो, तो वह अभ्यर्थी बना रहेगा। कई सीटों पर नामांकन भरने के कारण पत्र खारिज न करें। संवीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं मौजूद रह सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

संवीक्षा जाँच-सूची

ग्राम पंचायत ..... · संवीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे से

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ..... पत्र क्र. .....

प्राप्ति का समय ..... जाँचने वाले कार्मिक .....

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता / पति का नाम .....

कार्मिक कमी लिखें; मंजूर या नामंजूर का फ़ैसला रिटर्निंग अधिकारी करेंगे।

क्र.	जाँच का बिन्दु	हाँ	नहीं	टिप्पणी
सभी अभ्यर्थी				
1	पत्र अभ्यर्थी ने स्वयं, प्रातः 8:00 से 11:00 बजे के बीच, तय स्थान पर दिया।			
2	आयोग का छपा प्ररूप; छपा न मिला हो, तभी उसकी फोटो प्रति। हाथ से लिखा नहीं; टाइप किया हो तो सारी एंट्री हूबहू।			
3	प्ररूप-4 का कोई कॉलम खाली नहीं (संतान संबंधी योग्यता वाला हिस्सा छोड़कर)।			
4	प्ररूप 4-घ साथ है, हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी। बिन्दु 3 की संतान वाली सूचना ज़रूरी नहीं।			
5	प्ररूप-4 और 4-घ पर हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभ्यर्थी की अपनी और असली।			
6	शौचालय की घोषणा / अंडरटेकिंग (परिशिष्ट-6-सी) है; प्रमाणित कराना ज़रूरी नहीं।			
7	सांख्यिकी सूचना फार्म (परिशिष्ट-6-E), सरपंच और पंच दोनों से। न हो तो भी पत्र खारिज नहीं (आदेश 10055, बिन्दु 9)।			
8	अभ्यर्थी इसी पंचायत का मतदाता, और वही व्यक्ति जिसका नाम और क्रम सं. पत्र में है। क्रम सं. या वार्ड सं. गलत हो तो उसी समय ठीक करवाई।			
9	संवीक्षा के दिन आयु 21 वर्ष पूरी है।			
10	आरक्षित सीट हो तो अभ्यर्थी उसी वर्ग का है।			
11	केंद्र / राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, या राज्य सरकार से नियंत्रित या वित्त पोषित विश्वविद्यालय, निगम, संस्था, उपक्रम या सहकारी समिति का वैतनिक (पूर्णकालिक या अंशकालिक) कर्मचारी नहीं; किसी पंचायती राज संस्था में वैतनिक या लाभ का पद नहीं। कर्मचारी था, तो त्यागपत्र की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति है, आदेश संवीक्षा की तारीख से पहले का, उसी दिन का नहीं।			
12	घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय; परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता (धारा 19)।			
13	अनुच्छेद 191, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, 8-क, 9, 9-क, 10, 10-क और पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 की कोई और अपात्रता नहीं।			
14	कॉलम खाली मिला तो मीमो दिया (क्र. .....), कॉलम भरा गया; घोषणा / शपथ पत्र का कॉलम खाली था तो अलग शपथ पत्र आया।			
केवल सरपंच				
15	उपाबन्ध I-B का शपथ पत्र: ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, न्यायाधीश / मजिस्ट्रेट / शपथ कमिश्नर / नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित, कोई कॉलम खाली नहीं। (I-B न हो तो पत्र खारिज।)			
16	जमानत जमा: ₹500 / ₹250 (SC, ST, OBC का प्रमाण-पत्र; या महिला), रसीद सं. .....। (जमा न हो तो पत्र खारिज।)			

निर्णय: मंजूर / नामंजूर

नामंजूरी का संक्षिप्त कारण (पत्र पर भी लिखें): .....

.....

समय ..... हस्ताक्षर, रिटर्निंग अधिकारी .....

याद रखें: किसी के कई पत्रों में से एक भी मंजूर हो, तो वह अभ्यर्थी बना रहेगा। कई सीटों पर नामांकन भरने के कारण पत्र खारिज न करें। संवीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं मौजूद रह सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

संवीक्षा जाँच-सूची

ग्राम पंचायत ..... · संवीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे से

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ..... पत्र क्र. .....

प्राप्ति का समय ..... जाँचने वाले कार्मिक .....

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता / पति का नाम .....

कार्मिक कमी लिखें; मंजूर या नामंजूर का फ़ैसला रिटर्निंग अधिकारी करेंगे।

क्र.	जाँच का बिन्दु	हाँ	नहीं	टिप्पणी
सभी अभ्यर्थी				
1	पत्र अभ्यर्थी ने स्वयं, प्रातः 8:00 से 11:00 बजे के बीच, तय स्थान पर दिया।			
2	आयोग का छपा प्ररूप; छपा न मिला हो, तभी उसकी फोटो प्रति। हाथ से लिखा नहीं; टाइप किया हो तो सारी एंट्री हूबहू।			
3	प्ररूप-4 का कोई कॉलम खाली नहीं (संतान संबंधी योग्यता वाला हिस्सा छोड़कर)।			
4	प्ररूप 4-घ साथ है, हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी। बिन्दु 3 की संतान वाली सूचना ज़रूरी नहीं।			
5	प्ररूप-4 और 4-घ पर हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभ्यर्थी की अपनी और असली।			
6	शौचालय की घोषणा / अंडरटेकिंग (परिशिष्ट-6-सी) है; प्रमाणित कराना ज़रूरी नहीं।			
7	सांख्यिकी सूचना फार्म (परिशिष्ट-6-E), सरपंच और पंच दोनों से। न हो तो भी पत्र खारिज नहीं (आदेश 10055, बिन्दु 9)।			
8	अभ्यर्थी इसी पंचायत का मतदाता, और वही व्यक्ति जिसका नाम और क्रम सं. पत्र में है। क्रम सं. या वार्ड सं. गलत हो तो उसी समय ठीक करवाई।			
9	संवीक्षा के दिन आयु 21 वर्ष पूरी है।			
10	आरक्षित सीट हो तो अभ्यर्थी उसी वर्ग का है।			
11	केंद्र / राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, या राज्य सरकार से नियंत्रित या वित्त पोषित विश्वविद्यालय, निगम, संस्था, उपक्रम या सहकारी समिति का वैतनिक (पूर्णकालिक या अंशकालिक) कर्मचारी नहीं; किसी पंचायती राज संस्था में वैतनिक या लाभ का पद नहीं। कर्मचारी था, तो त्यागपत्र की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति है, आदेश संवीक्षा की तारीख से पहले का, उसी दिन का नहीं।			
12	घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय; परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता (धारा 19)।			
13	अनुच्छेद 191, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, 8-क, 9, 9-क, 10, 10-क और पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 की कोई और अपात्रता नहीं।			
14	कॉलम खाली मिला तो मीमो दिया (क्र. .....), कॉलम भरा गया; घोषणा / शपथ पत्र का कॉलम खाली था तो अलग शपथ पत्र आया।			
केवल सरपंच				
15	उपाबन्ध I-B का शपथ पत्र: ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, न्यायाधीश / मजिस्ट्रेट / शपथ कमिश्नर / नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित, कोई कॉलम खाली नहीं। (I-B न हो तो पत्र खारिज।)			
16	जमानत जमा: ₹500 / ₹250 (SC, ST, OBC का प्रमाण-पत्र; या महिला), रसीद सं. .....। (जमा न हो तो पत्र खारिज।)			

निर्णय: मंजूर / नामंजूर

नामंजूरी का संक्षिप्त कारण (पत्र पर भी लिखें): .....

.....

समय ..... हस्ताक्षर, रिटर्निंग अधिकारी .....

याद रखें: किसी के कई पत्रों में से एक भी मंजूर हो, तो वह अभ्यर्थी बना रहेगा। कई सीटों पर नामांकन भरने के कारण पत्र खारिज न करें। संवीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं मौजूद रह सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

संवीक्षा: आपत्ति और उस पर निर्णय

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994, नियम 27(2): संवीक्षा के समय अभ्यर्थी स्वयं मौजूद रह सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं; रिटर्निंग अधिकारी हर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र देखने की हर उचित सुविधा और उन पर आपत्ति करने का उचित अवसर देंगे। नियम 27(3): हर आपत्ति पर निर्णय रिटर्निंग अधिकारी करेंगे।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

ग्राम पंचायत..... दिनांक..... आपत्ति मिलने का समय .....

1. आपत्ति करने वाले अभ्यर्थी का नाम .....
   पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. .....

2. जिस नाम निर्देशन पत्र पर आपत्ति है: अभ्यर्थी का नाम.....
   पद / वार्ड सं..... पत्र क्र. .....

3. आपत्ति का आधार (नियम 27(3); जो लागू हो, उस पर ✓ लगाइए):

✓	आधार
	(क) अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं है, या निरर्हित हो गया है।
	(ख) अभ्यर्थी वह व्यक्ति नहीं है, जिसका मतदाता सूची का क्रमांक या नाम नाम निर्देशन पत्र में लिखा है।
	(ग) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप असली नहीं है, या कपट, दबाव या अनुचित प्रभाव से ली गई है।
	(घ) नियम 25 (नाम निर्देशन पत्र पेश करना) के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ।

4. आपत्ति किस बात पर है, संक्षेप में: .....
   .....

5. आपत्ति के साथ दिए कागज़ (अगर हों):.....

   आपत्ति करने वाले के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी ..... समय .....

6. जिस अभ्यर्थी पर आपत्ति है, उसका जवाब (अगर दिया): .....
   .....

   अभ्यर्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी ..... समय .....

7. निर्णय

☐ आपत्ति स्वीकार: नाम निर्देशन पत्र नामंजूर ☐ आपत्ति अस्वीकार: नाम निर्देशन पत्र मंजूर

कारण, संक्षेप में:.....
.....

- निर्णय, और नामंजूरी हो तो उसका संक्षिप्त कारण, नाम निर्देशन पत्र पर भी लिखिए (नियम 27(4))।
- आपत्ति न हो, तब भी रिटर्निंग अधिकारी स्वयं इन्हीं आधारों पर नाम निर्देशन पत्र नामंजूर कर सकते हैं (नियम 27(3))।
- संवीक्षा उसी दिन पूरी होगी; कार्यवाही स्थगित नहीं होगी (नियम 27(5))।
- यह पत्रक उसी नाम निर्देशन पत्र के साथ लगाइए।

समय .....
हस्ताक्षर .....
रिटर्निंग अधिकारी
ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

नामंजूरी के कारण: जाँच चिट

संवीक्षा में जो नाम निर्देशन पत्र नामंजूर हो, उसके साथ यह चिट लगाइए। जो कारण लागू हो, उस पर ✓ लगाइए।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ..... पत्र क्र. ..... अभ्यर्थी का नाम .....

✓	आधार	कारण
नियम 27(3) के आधार (राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994)		
	(क)	अभ्यर्थी अर्हित नहीं है, या निरर्हित है। जैसे:
		संवीक्षा के दिन आयु 21 वर्ष पूरी नहीं।
		इस पंचायत का मतदाता नहीं।
		आरक्षित सीट है, और अभ्यर्थी उस वर्ग का नहीं।
		मॉडल कार्यालय शीट #13 के बिन्दु 11 में लिखे किसी कार्यालय या संस्था का वैतनिक कर्मचारी है, और त्यागपत्र की स्वीकृति का आदेश संवीक्षा की तारीख से पहले का नहीं।
		घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय नहीं, या परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच जाता है (धारा 19)।
		अनुच्छेद 191, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, 8-क, 9, 9-क, 10 और 10-क, या पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 की कोई और अपात्रता।
	(ख)	अभ्यर्थी वह व्यक्ति नहीं है, जिसका मतदाता सूची का क्रमांक या नाम नाम निर्देशन पत्र में लिखा है।
	(ग)	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप असली नहीं है, या कपट, दबाव या अनुचित प्रभाव से ली गई है।
	(घ)	नियम 25 (नाम निर्देशन पत्र पेश करना) के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ।
आयोग का आदेश और मार्गदर्शिका		
		मीमो के बाद भी खाली कॉलम नहीं भरा, या जहाँ अलग शपथ पत्र ज़रूरी था, वह नहीं दिया (आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10055, दिनांक 06.10.2026)।
		सरपंच: उपाबन्ध I-B का शपथ पत्र नहीं है।
		सरपंच: जमानत जमा नहीं है।

इन बातों पर पत्र नामंजूर न करें

- सांख्यिकी सूचना फार्म नहीं दिया (आदेश 10055, बिन्दु 9)।
- 4-घ के बिन्दु 3 की संतान वाली सूचना नहीं दी; यह ज़रूरी नहीं (आदेश 10055)।
- शौचालय की घोषणा प्रमाणित नहीं कराई; इसकी ज़रूरत नहीं (आदेश 10055)।
- एक से ज़्यादा सीटों पर नामांकन भरा।
- उपाबन्ध I-B की जानकारी सही है या गलत: यह जाँचना रिटर्निंग अधिकारी का काम नहीं।
- किसी के कई पत्रों में से एक भी मंजूर हो, तो वह अभ्यर्थी बना रहता है।

नामंजूरी का संक्षिप्त कारण: .....

.....

- निर्णय, और नामंजूरी का संक्षिप्त कारण, नाम निर्देशन पत्र पर भी लिखिए (नियम 27(4))। संवीक्षा उसी दिन पूरी होगी (नियम 27(5))।

समय .....

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

सूचना

संवीक्षा का परिणाम: मंजूर और नामंजूर नाम निर्देशन पत्र

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

ग्राम पंचायत ..... पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ..... दिनांक: .....

क्र.	पत्र क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मंजूर / नामंजूर	नामंजूरी का संक्षिप्त कारण

नाम वापसी: आज अपराह्न 2:00 बजे तक। नाम वापसी का नोटिस अभ्यर्थी स्वयं आकर, दो प्रतियों में देगा; किसी दूसरे के हाथ भेजा नोटिस मान्य नहीं।

सूचना लगाने का समय .....

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

सुझाई गई शीट: मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-27 वाले मॉडल फ़ॉर्म पर, जो सरपंच पद का छपा है; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

- नियमों में नाम वापसी का कोई प्ररूप तय नहीं है; अभ्यर्थी मॉडल फ़ॉर्म की नकल पर भी नोटिस दे सकता है (मार्गदर्शिका, पृष्ठ 36, बिन्दु 13(vi))।
- अभ्यर्थी ख़ुद आकर दो प्रतियों में नोटिस देगा, अपराह्न 2:00 बजे तक (आयोग का चुनाव कार्यक्रम 9836)। रिटर्निंग अधिकारी नीचे वाले हिस्से में नोटिस मिलने का समय लिखकर हस्ताक्षर करेंगे, और एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाएँगे (बिन्दु 13(v))।
- एक से ज़्यादा सीटों (दो वार्ड, या पंच और सरपंच) के लिए नामांकन भरने वाला अभ्यर्थी नाम वापसी के तय समय तक एक सीट छोड़कर बाकी सब से नाम वापस न ले, तो सभी सीटों से उसका नाम वापस माना जाएगा (बिन्दु 14)।

प्रति 1

नाम वापसी की सूचना

(वार्ड पंच पद)

सेवामें,

रिटर्निंग ऑफिसर,
पंचायत सर्किल .....

मैं वार्ड सं. ..... के पंच पद के लिए अपना नाम वापस लेता / लेती हूँ।

दिनांक ..... हस्ताक्षर / उम्मीदवार

उक्त उम्मीदवार श्री / श्रीमती ..... ने पंचायत के वार्ड सं. ..... के पंच पद से अपना नाम वापसी का नोटिस स्वयं आकर मुझे ..... बजे दिया।

दिनांक ..... रिटर्निंग ऑफिसर

✂ -

प्रति 2

नाम वापसी की सूचना

(वार्ड पंच पद)

सेवामें,

रिटर्निंग ऑफिसर,
पंचायत सर्किल .....

मैं वार्ड सं. ..... के पंच पद के लिए अपना नाम वापस लेता / लेती हूँ।

दिनांक ..... हस्ताक्षर / उम्मीदवार

उक्त उम्मीदवार श्री / श्रीमती ..... ने पंचायत के वार्ड सं. ..... के पंच पद से अपना नाम वापसी का नोटिस स्वयं आकर मुझे ..... बजे दिया।

दिनांक ..... रिटर्निंग ऑफिसर

मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-27 का मॉडल फ़ॉर्म (सरपंच पद), जैसा छपा है; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

- नियमों में नाम वापसी का कोई प्ररूप तय नहीं है; अभ्यर्थी मॉडल फ़ॉर्म की नकल पर भी नोटिस दे सकता है (मार्गदर्शिका, पृष्ठ 36, बिन्दु 13(vi))।
- अभ्यर्थी ख़ुद आकर दो प्रतियों में नोटिस देगा, अपराह्न 2:00 बजे तक (आयोग का चुनाव कार्यक्रम 9836)। रिटर्निंग अधिकारी नीचे वाले हिस्से में नोटिस मिलने का समय लिखकर हस्ताक्षर करेंगे, और एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाएँगे (बिन्दु 13(v))।
- एक से ज़्यादा सीटों (दो वार्ड, या पंच और सरपंच) के लिए नामांकन भरने वाला अभ्यर्थी नाम वापसी के तय समय तक एक सीट छोड़कर बाकी सब से नाम वापस न ले, तो सभी सीटों से उसका नाम वापस माना जाएगा (बिन्दु 14)।

प्रति 1

नाम वापसी की सूचना

(सरपंच पद)

सेवामें,

रिटर्निंग ऑफिसर,

पंचायत सर्किल ....

मैं सरपंच पद के लिए अपना नाम वापस लेता / लेती हूँ।

दिनांक .... हस्ताक्षर / उम्मीदवार

उक्त उम्मीदवार श्री / श्रीमती .... ने पंचायत के सरपंच पद से अपना नाम वापसी का नोटिस स्वयं आकर मुझे .... बजे दिया।

दिनांक .... रिटर्निंग ऑफिसर

✂ -

प्रति 2

नाम वापसी की सूचना

(सरपंच पद)

सेवामें,

रिटर्निंग ऑफिसर,

पंचायत सर्किल ....

मैं सरपंच पद के लिए अपना नाम वापस लेता / लेती हूँ।

दिनांक .... हस्ताक्षर / उम्मीदवार

उक्त उम्मीदवार श्री / श्रीमती .... ने पंचायत के सरपंच पद से अपना नाम वापसी का नोटिस स्वयं आकर मुझे .... बजे दिया।

दिनांक .... रिटर्निंग ऑफिसर

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

सूचना

नाम वापस लेने वाले अभ्यर्थी

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

ग्राम पंचायत ..... पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ..... दिनांक: .....

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पद / वार्ड सं.	नोटिस मिलने का समय

अभ्यर्थियों ने ऊपर लिखे समय पर स्वयं आकर नाम वापसी का नोटिस दिया। हर नोटिस (परिशिष्ट-27) की एक प्रति भी इसी नोटिस बोर्ड पर लगी है।

सूचना लगाने का समय .....

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

प्ररूप-5

विधि मान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, जिनके नाम निर्देशन पत्र मंजूर किए गए हैं और वापस नहीं लिए गए हैं

..... पंचायत के लिए निर्वाचन (सरपंच चुनाव / पंच चुनाव, वार्ड सं. .....)

निर्वाचन की तारीख .....

क्र.स.	पते सहित अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम	आवंटित सुभिन्न प्रतीक

तारीख ..... स्थान ..... रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर .....

मार्गदर्शिका के परिशिष्ट 8-A / 8-B के कॉलमों पर (वार्ड सं. पंच की सूची के लिए जोड़ा है)। नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में (क्रम मुख्य नाम से, उपनाम से नहीं, पर पूरा नाम उपनाम सहित लिखें; नाम से पहले श्री, श्रीमती, सुश्री न लिखें), और प्रतीक उसी क्रम में (आदेश 9809)। सरपंच की सूची अलग, और हर वार्ड के पंच की अलग।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

मतदान दलों को सामग्री सौंपने का रजिस्टर

हर बूथ की एक पंक्ति। मतदान अधिकारी हर चीज़ गिनकर और सूची से मिलाकर लें, फिर हस्ताक्षर करें और समय लिखें।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क्र.	बूथ सं. व नाम	मतदान अधिकारी का नाम	मतपेटियाँ (संख्या)	पंच मतपत्र: वार्ड सं. और क्रमांक (से-तक)	सरपंच मतपत्र: क्रमांक (से-तक)	कार्यकारी मतदाता सूची (प्रतियाँ)	परिशिष्ट-7 की बाकी सामग्री सूची से मिलाई ✓	मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर व समय	सौंपने वाले कार्मिक

- सामग्री ज़िला निर्वाचन अधिकारी से रिटर्निंग अधिकारी को, और रिटर्निंग अधिकारी से मतदान दलों को जाती है; पूरी सूची परिशिष्ट-7 में। मतदान अधिकारी सामग्री निर्धारित सूची से मिलाकर लें (मार्गदर्शिका, अध्याय-4, बिन्दु 1)।
- मतपेटियाँ गिनें, और हर पेटी खोलकर देखें, फिर बंद करें (बिन्दु 2(i))। वार्ड की मतदाता सूची की 4 कार्यकारी प्रतियाँ, पूरी, एक जैसी और प्रमाणित (बिन्दु 2(ii)); परिशिष्ट-7 में हर बूथ को 4 और रिटर्निंग अधिकारी को 1।
- मतपत्र छपे हुए और क्रमांक वाले: पंच के गुलाबी, सरपंच के सफ़ेद (बिन्दु 2(iii))। सरपंच के मतपत्र बूथ के मतदाताओं की संख्या से अगले सौ तक (जैसे 1012 के लिए 1100), पंच के अगले दस तक (जैसे 312 के लिए 320)।
- आदेश 9809 के अनुसार मतपत्रों पर सिर्फ़ प्रतीक छपे होंगे; अभ्यर्थियों के नाम प्ररूप-5 जारी होते ही, ग्राम पंचायत पर, मतदान दलों के अधिकारी और कार्मिक काले बॉल पेन से लिखेंगे। मतपत्र और नोटा के स्टीकर ज़िले की चुनाव सामग्री के साथ मिलेंगे।

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

कार्यालय आदेश: मतगणना दल की तैनाती और काम का बँटवारा

क्रमांक: ..... दिनांक: .....

आयोग का पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1323, दिनांक 03.02.2026 के अनुसार ग्राम पंचायत ..... में दिनांक ..... को मतदान ख़त्म होते ही पंचायत मुख्यालय पर, रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में, सरपंच और वार्ड पंचों की गिनती होगी। गिनती में सभी बूथों के मतदान दलों के ये कार्मिक लगाए जाते हैं:

दल-1: सरपंच (सफेद मतपत्र)। गिनती रिटर्निंग अधिकारी स्वयं, या सहायक मतदान अधिकारियों की मदद से, करेंगे (पत्र 1323, बिन्दु 4)।

क्र.	कार्मिक का नाम	पद	मूल बूथ सं.	काम: छँटाई / गड्डी बनाना / गिनती में मदद	हस्ताक्षर

दल-2: वार्ड पंच (गुलाबी मतपत्र)। हर वार्ड के मतपत्र गिनती के लिए एक कार्मिक को (बिन्दु 18(x)); एक बूथ में कई वार्ड हो सकते हैं, इसलिए बूथ और वार्ड दोनों लिखिए।

बूथ सं.	वार्ड सं.	गिनती करने वाले कार्मिक का नाम	पद	मूल बूथ सं.	हस्ताक्षर

- सरपंच की गिनती शुरू करने से पहले पक्का कर लें कि सभी बूथों की मतपेटियाँ आ चुकी हैं। मार्गदर्शिका (बिन्दु 18(ii)): पंचायत मुख्यालय से बाहर किसी गाँव में विशेष हालात में बने बूथ की मतपेटियाँ आने में देरी हो, तो अभ्यर्थियों को बताकर बाकी मतपेटियों की गिनती शुरू कर दें।
- एक-एक मतपेटी खोलकर पहले रंग से अलग करें (सरपंच सफेद, वार्ड पंच गुलाबी), फिर पंच के मतपत्र वार्डवार। हर वार्ड के और सरपंच के मतपत्रों की 50-50 की गड्डियाँ, रबर बैंड से (एक गड्डी 50 से कम हो सकती है)। हर बूथ की संख्या काग़ज़ पर लिखकर उस बूथ पर डाले गए वोटों से मिलाइए (मॉडल कार्यालय शीट #23)। फिर अभ्यर्थीवार (नोटा सहित) छँटाई (पत्र 1323, बिन्दु 3-5; मार्गदर्शिका बिन्दु 18(vi)-(ix))।
- हर कार्मिक एक स्लिप पर हर अभ्यर्थी और नोटा के वोट और वार्ड सं. लिखकर हस्ताक्षर करेगा; हर अभ्यर्थी और नोटा की गड्डियाँ एक पैकेट में, स्लिप सबसे ऊपर रखकर, रिटर्निंग अधिकारी को देगा (बिन्दु 18(x))।
- वैध या अवैध का फ़ैसला रिटर्निंग अधिकारी करेंगे (पत्र 1323, बिन्दु 5)। शक वाले मतपत्र पर कार्मिक उसी समय रिटर्निंग अधिकारी से फ़ैसला लें, फिर उसे अभ्यर्थी की गड्डी में या खारिज की गड्डी में रखें। खारिज मतपत्र दोबारा देखकर, अभ्यर्थियों को बताकर अंतिम फ़ैसला; उन पर कारण, सील और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर; कोई अभ्यर्थी क्रम संख्या माँगे तो नोट करवा दें (मॉडल कार्यालय शीट #26)।
- स्टाफ़ के अलावा पंच और सरपंच के अभ्यर्थी, और सरपंच के अभ्यर्थी के दो गणन अभिकर्ता (प्ररूप-10; नियम 70(1)) बैठ सकते हैं; 20 या ज़्यादा वार्ड हों तो जिला निर्वाचन अधिकारी ज़्यादा की अनुमति दे सकते हैं (मार्गदर्शिका, बिन्दु 18(iii))। नियम 70 में वार्ड पंच के अभ्यर्थी के गणन अभिकर्ता का प्रावधान नहीं।
- जीत का अंतर बहुत कम हो और कोई अभ्यर्थी माँगे, तो रिटर्निंग अधिकारी उचित समझें तो पुनर्गणना (मॉडल कार्यालय शीट #27)। हर पद की गिनती पूरी होते ही परिणाम घोषित करें; फिर उस पद के बाकी अभ्यर्थी गिनती केन्द्र पर न रुकें। परिणाम प्ररूप-7 में, फिर शपथ प्ररूप-11, प्रमाण-पत्र, और अभ्यर्थी से हस्ताक्षर की हुई प्राप्ति रसीद (पत्र 1323, बिन्दु 6-9)।

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

प्रतिलिपि: 1. ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), ... 2. संबंधित कार्मिक, पालना हेतु।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

मतदान दलों से मतपेटियाँ और लिफ़ाफ़े लेने का रजिस्टर

मतदान ख़त्म होने के बाद मतदान अधिकारी मतपेटियों के साथ, पर अलग से, पंच के चार और सरपंच के चार सील किए लिफ़ाफ़े रिटर्निंग अधिकारी को देंगे (मार्गदर्शिका, पृष्ठ 23, बिन्दु 3)। हर लिफ़ाफ़ा मिलने पर ✓ लगाइए।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

बूथ सं.	मतदान अधिकारी का नाम	मतपेटियाँ (संख्या)	पंच P-4	पंच P-5	पंच P-13	पंच P-17	सरपंच P-3	सरपंच P-6	सरपंच P-12	सरपंच P-16	समय	मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर (सौंपा)	लेने वाले के हस्ताक्षर	टिप्पणी

- पंच: P-4 काम में न आए मतपत्र, P-5 चिह्नित मतदाता सूची, P-13 ख़राब और रद्द मतपत्र, P-17 निविदत्त मतपत्र और उनकी सूची। सरपंच के लिए इसी क्रम में P-3, P-6, P-12, P-16 (मार्गदर्शिका, पृष्ठ 23, बिन्दु 3; परिशिष्ट-15)।
- निविदत्त मतपत्रों के लिफ़ाफ़ों के नंबर मार्गदर्शिका के कुछ पन्नों पर उलटे छपे हैं (पंच P-16, सरपंच P-17; जैसे पृष्ठ 23, बिन्दु 3); यहाँ परिशिष्ट-15 की तालिका के नंबर हैं, जिसमें हर लिफ़ाफ़े के साथ पद लिखा है। ✓ लगाने से पहले लिफ़ाफ़े पर लिखा पद देखिए।
- कोई लिफ़ाफ़ा न मिले, या सील न हो, तो उसी समय टिप्पणी में लिखिए और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर कराइए।

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

गिनती में मौजूद अभ्यर्थी और गणन अभिकर्ता

नियम 49(3): गिनती रिटर्निंग अधिकारी करेंगे या उनकी देखरेख में होगी, और हर अभ्यर्थी को गिनती के समय मौजूद रहने का अधिकार है।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

गिनती की जगह:..... दिनांक:..... गिनती शुरू होने का समय:.....

दिन, समय और जगह की सूचना सभी अभ्यर्थियों को पहले से दी (नियम 49(2); मार्गदर्शिका, बिन्दु 18(iv)): कब..... कैसे.....

सरपंच के अभ्यर्थी

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्रतीक	आने का समय	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	गणन अभिकर्ता 1 का नाम	गणन अभिकर्ता 2 का नाम	अभिकर्ता: प्ररूप-10 की दूसरी प्रति ली, घोषणा पर हस्ताक्षर हुए ✓

वार्ड पंच के अभ्यर्थी

वार्ड सं.	अभ्यर्थी का नाम	हस्ताक्षर	वार्ड सं.	अभ्यर्थी का नाम	हस्ताक्षर	वार्ड सं.	अभ्यर्थी का नाम	हस्ताक्षर

- स्टाफ़ के अलावा पंच और सरपंच के अभ्यर्थी, और सरपंच के अभ्यर्थी के दो गणन अभिकर्ता (प्ररूप-10) बैठ सकते हैं; जिस पंचायत में 20 या ज़्यादा वार्ड हों, वहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी ज़रूरत के हिसाब से सरपंच के अभ्यर्थी को 2 से ज़्यादा गणन अभिकर्ता की अनुमति दे सकते हैं (मार्गदर्शिका, बिन्दु 18(iii); नियम 70(1))। नियम 70 में वार्ड पंच के अभ्यर्थी के गणन अभिकर्ता का प्रावधान नहीं, इसलिए वार्ड पंच की तालिका में अभिकर्ता का कॉलम नहीं है।
- सरपंच का अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा 2 गणन अभिकर्ता रख सकता है (20 या ज़्यादा वार्ड पर छूट: ऊपर देखें), प्ररूप-10 में, दो प्रतियों में, अपने हस्ताक्षर से (नियम 70(1))। गिनती के दिन अभिकर्ता दूसरी प्रति रिटर्निंग अधिकारी (या नियम 58 में उनके अधिकृत अधिकारी) को देगा और उसमें लिखी घोषणा पर उनके सामने हस्ताक्षर करेगा; वह प्रति अधिकारी अपने पास रखेंगे। ऐसा किए बिना अभिकर्ता गिनती की जगह पर कोई काम नहीं कर सकता (नियम 70(3))।
- इनके अलावा गिनती में सिर्फ़ मतदान अधिकारी, सहायक मतदान अधिकारी, और वे लोग रह सकते हैं जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी काम में मदद के लिए अनुमति दें (नियम 49(4))।
- हर पद की गिनती पूरी होते ही परिणाम घोषित करें; फिर उस पद के बाकी अभ्यर्थियों को गिनती केन्द्र पर रुकने न दें (पत्र 1323, बिन्दु 7)।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर ..... समय .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

मतपेटियाँ खोलने का रिकॉर्ड

हर पेटी खोलते समय उसकी मुहर जैसी मिली, वैसी यहाँ लिखिए। सभी बूथों से मतपेटियाँ सील बन्द होकर गिनती की जगह पर आएँगी (मार्गदर्शिका, बिन्दु 18(ii))।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क्र.	बूथ सं. व नाम	मतपेटी क्र.	मतदान अधिकारी की मुहर जैसी मिली: सही / टूटी / नहीं लगी	मतदान अभिकर्ताओं की मुहर (अगर लगाई थी): सही / टूटी	खोलने का समय	मौजूद अभ्यर्थी / अभिकर्ता: नाम और हस्ताक्षर (चाहें तो)	खोलने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर	टिप्पणी

- मतदान ख़त्म होने के बाद जल्द से जल्द, वहाँ मौजूद अभ्यर्थियों के सामने, मतदान अधिकारी हर मतपेटी देखते हैं कि वह खोली नहीं गई और उससे छेड़छाड़ नहीं हुई, फिर उस पर अपनी मुहर लगाते हैं (नियम 47(1))। मतदान ख़त्म होने के समय मौजूद मतदान अभिकर्ता चाहें तो अपनी मुहर भी लगा सकते हैं (परिशिष्ट-21, भाग-3)।
- सरपंच की गिनती शुरू करने से पहले पक्का कर लें कि सभी बूथों की मतपेटियाँ आ गई हैं (पत्र 1323, बिन्दु 2)। विशेष हालात में पंचायत मुख्यालय से बाहर किसी गाँव में बने बूथ की पेटियाँ आने में देरी हो, तो अभ्यर्थियों को बताकर बाकी पेटियों की गिनती शुरू कर दें (मार्गदर्शिका, बिन्दु 18(ii))।
- गिनती पूरी होने से पहले किसी बूथ के मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी के कब्ज़े से गैर-कानूनी ढंग से बाहर ले जाए जाएँ, या नष्ट हो जाएँ, खो जाएँ, ख़राब हो जाएँ या उनसे छेड़छाड़ हो, और इतनी कि उस बूथ का परिणाम पता न चल सके, तो रिटर्निंग अधिकारी तुरंत आयोग को सूचना देंगे (नियम 49A(1))।
- इस पन्ने पर अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर किसी नियम या आदेश में तय नहीं; वे चाहें तो करें। यह रिकॉर्ड है, किसी बात पर सहमति नहीं। गिनती का दिन, समय और जगह रिटर्निंग अधिकारी तय करते हैं (नियम 49(1))।
- गिनती में अभ्यर्थी के अधिकार: जिन मतपत्रों को रिटर्निंग अधिकारी नामंजूर करने लायक मानें, उन्हें हर अभ्यर्थी बिना छुए देख सके, इसका उचित मौका मिलेगा (नियम 49(5))। गिनती में मौजूद कोई भी अभ्यर्थी गिनती के दौरान किसी भी समय लिखकर पुनर्गणना माँग सकता है; रिटर्निंग अधिकारी कारण लिखकर माँग नामंजूर कर सकते हैं या पुनर्गणना करा सकते हैं (नियम 49(6); मॉडल कार्यालय शीट #27)। नामंजूर मतपत्रों की क्रम संख्या कोई अभ्यर्थी जानना चाहे, तो नोट करा दें (पत्र 1323, बिन्दु 5; शीट #26)। मतपत्र वैध है या नहीं, इस पर रिटर्निंग अधिकारी का फ़ैसला अंतिम है (नियम 50(4))।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर ..... समय .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

मतपत्र मिलान पत्रक (बूथवार)

पेटी से निकले मतपत्र गिनकर बूथ पर डाले गए वोटों से मिलाइए (आयोग का पत्र 1323)। हर बूथ की एक पंक्ति सरपंच की, और उस बूथ के हर वार्ड की एक-एक पंक्ति।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

बूथ सं. व नाम	पद: सरपंच / वार्ड सं.	बूथ पर डाले गए वोट	पेटी से निकले मतपत्र	अंतर	टिप्पणी

मिलान करने वाले कार्मिक: नाम ..... हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

गणना स्लिप: वार्ड पंच

वार्ड सं. ..... किन बूथों के मतपत्र: .....

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्रतीक	50 की गड्डियाँ (संख्या)	खुले मतपत्र	कुल वोट
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	नोटा				
	विवादित मतपत्र (रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के लिए)				
	इनमें से नामंजूर (रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के बाद)				
	कुल मतपत्र				

गिनने वाले कार्मिक का नाम ..... पद ..... हस्ताक्षर ..... समय .....

✂ -

गणना स्लिप: वार्ड पंच

वार्ड सं. ..... किन बूथों के मतपत्र: .....

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्रतीक	50 की गड्डियाँ (संख्या)	खुले मतपत्र	कुल वोट
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	नोटा				
	विवादित मतपत्र (रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के लिए)				
	इनमें से नामंजूर (रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के बाद)				
	कुल मतपत्र				

गिनने वाले कार्मिक का नाम ..... पद ..... हस्ताक्षर ..... समय .....

कुल वोट = (गड्डियाँ × 50) + खुले मतपत्र। स्लिप पैकेट में सबसे ऊपर रखकर रिटर्निंग अधिकारी को दीजिए।

गणना स्लिप: सरपंच

बूथ / टेबल सं. .....

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्रतीक	50 की गड्डियाँ (संख्या)	खुले मतपत्र	कुल वोट
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
	नोटा				
	विवादित मतपत्र (रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के लिए)				
	इनमें से नामंजूर (रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के बाद)				
	कुल मतपत्र				

गिनने वाले कार्मिक का नाम ..... पद ..... हस्ताक्षर ..... समय .....

सरपंच योग पत्रक

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	बूथ / टेबल 1	2	3	4	5	6	कुल वोट
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
	नोटा							
	नामंजूर मतपत्र							
	कुल							

योग करने वाले: ..... जाँचा: रिटर्निंग अधिकारी .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

नामंजूर मतपत्रों का विवरण

हर नामंजूर मतपत्र पर कारण लिखकर सील लगाइए और हस्ताक्षर कीजिए। कोई अभ्यर्थी नामंजूर मतपत्रों की क्रम संख्या जानना चाहे, तो उसे नोट करा दीजिए (आयोग का पत्र 1323)।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क्र.	पद: सरपंच / वार्ड सं.	मतपत्र की क्रम सं. (7 अंक)	नामंजूरी का कारण (नियम 50(1) का आधार)	रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मतपत्र केवल नियम 50(1) के आधारों पर नामंजूर होता है। गिनती के बाद वैध मतपत्र: सरपंच P-8, पंच P-9; नामंजूर: सरपंच P-28, पंच P-29 (सब सील)।

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

पुनर्गणना: आवेदन और आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994, नियम 49(6): गिनती में मौजूद कोई भी अभ्यर्थी गिनती के दौरान किसी भी समय रिटर्निंग अधिकारी से लिखकर पुनर्गणना माँग सकता है। रिटर्निंग अधिकारी कारण दर्ज करके माँग नामंजूर कर सकते हैं, या पुनर्गणना का आदेश दे सकते हैं।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

आवेदन

सेवा में, रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

मैं ....., पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ..... का अभ्यर्थी, गिनती में मौजूद हूँ। इन मतपत्रों की पुनर्गणना चाहता / चाहती हूँ: पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ....., बूथ सं. .....

आधार, संक्षेप में: .....

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी ..... दिनांक ..... समय .....

✂ -

रिटर्निंग अधिकारी का आदेश

आवेदन मिलने का समय .....

☐ पुनर्गणना का आदेश: पद ..... वार्ड सं. ..... बूथ सं. ..... ☐ आवेदन नामंजूर

कारण (नियम 49(6) में कारण दर्ज करना ज़रूरी है): .....

.....

पुनर्गणना का परिणाम

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पहली गिनती के वोट	पुनर्गणना के वोट	अंतर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	नोटा			
	नामंजूर मतपत्र			
	कुल			

- आयोग का पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1323, दिनांक 03.02.2026: दो अभ्यर्थियों में जीत का अंतर बहुत कम हो और कोई अभ्यर्थी पुनर्गणना माँगे, तो रिटर्निंग अधिकारी उचित समझें तो पुनर्गणना करा दें।
- नियम 49(7): पिछली गिनती की शुद्धता से संतुष्ट न हों, तो रिटर्निंग अधिकारी अपने विवेक से किसी या सभी अभ्यर्थियों के मतपत्र एक बार या कई बार फिर गिन सकते हैं।

समय .....

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

बराबर वोट: लॉट निकालने का विवरण

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994, नियम 51: वोट बराबर हों, तो परिणाम लॉट निकालकर घोषित होगा, उस तरीके से जो रिटर्निंग अधिकारी उचित समझें।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

ग्राम पंचायत ..... पद: सरपंच / वार्ड पंच, वार्ड सं. ..... दिनांक ..... समय .....

जिन अभ्यर्थियों के वोट बराबर हैं:

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्रतीक	वैध वोट	मौजूद अभ्यर्थी / अभिकर्ता के हस्ताक्षर

लॉट का तरीका, जो रिटर्निंग अधिकारी ने तय किया: .....

.....

.....

लॉट किसने निकाला: ..... समय .....

लॉट में नाम निकला: ..... प्रतीक .....

मौजूद गवाह: 1. ..... हस्ताक्षर ..... 2. ..... हस्ताक्षर .....

- यह परिणाम प्ररूप-7 के कॉलम 7 (नियम 51 के अधीन लाट का परिणाम) में भी लिखिए।

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

शपथ और निर्वाचन प्रमाण-पत्र: प्राप्ति रजिस्टर

आयोग का पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1323, दिनांक 03.02.2026: परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्ररूप-11 में शपथ दिलाइए, निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दीजिए, और उससे हस्ताक्षर की हुई प्राप्ति रसीद लीजिए।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क्र.	पद: सरपंच / वार्ड सं.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	परिणाम घोषणा का समय	शपथ (प्ररूप-11) का समय	प्रमाण-पत्र देने का समय	प्रमाण-पत्र प्राप्त किया: हस्ताक्षर / अंगूठा

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

कार्यालय आदेश: उप-सरपंच के चुनाव में सहायक कार्मिक

क्रमांक: ..... दिनांक: .....

ग्राम पंचायत ..... के उप-सरपंच का चुनाव दिनांक ..... को पहली बैठक में होगा। बैठक की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी करेंगे; उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं (अधिनियम की धारा 27(2))। रिटर्निंग अधिकारी की मदद के लिए ज़िला निर्वाचन अधिकारी एक मतदान अधिकारी लगाते हैं (नियम 59(13)(ख), नियम 66(7))। नीचे के कामों में ये कार्मिक मदद करेंगे:

क्र.	काम और समय	नियम / मार्गदर्शिका में क्या लिखा है	मदद करने वाले कार्मिक (नाम, पद)	हस्ताक्षर
1	नोटिस सुबह 9:00 बजे से पहले	बैठक का नोटिस जारी करना और पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाना (आयोग का पत्र, दिनांक 20.10.2026; मार्गदर्शिका, अध्याय-7, बिन्दु 4)।		
2	प्रस्ताव लेना 11:00 बजे तक	उम्मीदवार मौजूद हो, तो उसकी ज़बानी सहमति, और प्रस्ताव मिलने का समय, रिटर्निंग अधिकारी प्रस्ताव पर लिखते हैं (बिन्दु 5)।		
3	मतपत्र और मतदान 12:00 से 1:00 बजे	मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम टाइप करके या साफ़ अक्षरों में, रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश पर लिखे जाएँ (नियम 59(12)(ख) में लिखने वाला तय नहीं)। मतपत्र पर रिटर्निंग अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर (नियम 59(13)(ग))। मतदान अधिकारी सूची में टिक लगाकर मतपत्र देंगे। रिटर्निंग अधिकारी ऐरोक्रास मार्कसील देते हैं, मतदाता उसी से निशान लगाता है। मतपेटी रिटर्निंग अधिकारी के सामने रहेगी (बिन्दु 9-10)।		
4	गिनती, परिणाम, लिफ़ाफ़े मतदान ख़त्म होते ही	वोट बराबर हों तो लॉटरी; परिणाम प्ररूप-7 में (बिन्दु 12)। लिफ़ाफ़ा P-40 और P-41 सील (नियम 60(1), 66(7); मार्गदर्शिका की लिफ़ाफ़ों की सूची)।		
5	कार्यवाही का विवरण बैठक के अंत में	कार्यवाही का विवरण रिटर्निंग अधिकारी लिखते हैं (नियम 66(9)); इसके लिए मॉडल कार्यालय शीट #32।		

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

प्रतिलिपि: 1. ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), ... 2. संबंधित कार्मिक, पालना हेतु।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

उप-सरपंच की बैठक का नोटिस: तामील रजिस्टर

हर चुने गए पंच और सरपंच की एक पंक्ति: नोटिस किसे, कब और कैसे मिला।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क्र.	चुने गए पंच / सरपंच का नाम	पद / वार्ड सं.	नोटिस दिया (दिनांक व समय)	तामील कैसे: व्यक्तिगत / घर पर चिपकाया	पाने वाले के हस्ताक्षर / अंगूठा	तामील कराने वाले कार्मिक (नाम, हस्ताक्षर)

पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाने का समय..... लगाने वाले कार्मिक.....

- नोटिस हर चुने गए पंच और सरपंच को, चाहे वे मौजूद हों या नहीं; व्यक्तिगत तामील, न हो सके तो घर पर चिपकाइए। पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी, मतदान से कम से कम दो घंटे पहले (मार्गदर्शिका, अध्याय-7, बिन्दु 4; नियम 65(2))।
- नोटिस सुबह 9:00 बजे से पहले (आयोग का पत्र, दिनांक 20.10.2026)। छपे फ़ॉर्म ज़िला निर्वाचन अधिकारी देंगे: वार्डों की संख्या + 4 (परिशिष्ट-7)। नमूना परिशिष्ट-29 का मॉडल फ़ॉर्म है; उसमें पावती का हिस्सा नहीं, इसलिए यह रजिस्टर।
- भरा रजिस्टर उप-सरपंच के चुनाव के बाकी कागज़ों के साथ लिफ़ाफ़ा P-41 में।

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

उप-सरपंच का चुनाव: पहली बैठक की कार्यवाही का विवरण

कार्यवाही का विवरण उप-सरपंच का चुनाव कराने वाले रिटर्निंग अधिकारी बनाएँगे (मार्गदर्शिका, अध्याय-7)। जो हुआ, वही भरिए; जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

आयोग का पत्र क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/स्पे.1, दिनांक 20.10.2026: नोटिस सुबह 9:00 बजे से पहले; बैठक 10:00 बजे; नामनिर्देशन पत्र 11:00 बजे तक; संवीक्षा 11:30 बजे तक; उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिह्न 11:30 से 12:00 बजे; मतदान, ज़रूरी हो तो, 12:00 से 1:00 बजे के बीच; गिनती और परिणाम मतदान ख़त्म होते ही।

बैठक की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी करेंगे; उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं (अधिनियम की धारा 27(2))।

1. तारीख, जगह और नोटिस

दिनांक ...../2026 जगह .....

नोटिस जारी करने का समय ..... पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाने का समय ..... (मतदान से कम से कम दो घंटे पहले, नियम 65)

बैठक शुरू होने का समय ..... बैठक ख़त्म होने का समय .....

2. शपथ और उपस्थिति

पंच और सरपंच का परिणाम घोषित होने के बाद, चुने गए पंचों और सरपंच को प्ररूप-11 (परिशिष्ट-18) में शपथ दिलाई गई। बैठक में सरपंच और ..... पंच मौजूद रहे (कुल चुने गए पंच .....)। नाम और हस्ताक्षर साथ लगी सूची में हैं।

3. नामनिर्देशन: बैठक शुरू होने के एक घंटे के भीतर (नियम 66(1))

- उप-सरपंच के लिए सिर्फ़ चुने गए पंच खड़े हो सकते हैं। प्रस्ताव बैठक में मौजूद सरपंच या कोई भी चुना गया पंच रख सकता है; प्रस्ताव पर प्रस्तावक के और सहमति के लिए उम्मीदवार के हस्ताक्षर होते हैं (मॉडल फ़ॉर्म ख)।
- बैठक शुरू होते ही बताया गया: जो उम्मीदवार बैठक में नहीं है, उसकी लिखी सहमति प्रस्ताव के साथ न हो, तो प्रस्ताव खारिज होगा। उम्मीदवार मौजूद हो, तो उसकी ज़बानी सहमति रिटर्निंग अधिकारी प्रस्ताव पर लिख देते हैं (नियम 66(2))।

क्र.	उम्मीदवार का नाम (चुना गया पंच, वार्ड सं.)	प्रस्तावक का नाम (सरपंच / पंच, वार्ड सं.)	उम्मीदवार की सहमति (लिखी / ज़बानी)	प्रस्ताव मिलने का समय	मंजूर / नामंजूर
1					
2					
3					
4					
5					

4. जाँच और चुनाव लड़ने वालों की सूची

प्रस्ताव का समय ख़त्म होने पर सब उम्मीदवारों के नाम बैठक में पढ़े गए; प्रस्ताव मौजूद पंचों, सरपंच और उम्मीदवारों को बताए गए, एतराज़ सुने गए और फ़ैसला लिखा गया (नियम 66(3))।

मार्गदर्शिका में प्रस्ताव खारिज होने की चार वजहें: प्रस्ताव पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं; प्रस्ताव तय समय में नहीं दिया; उम्मीदवार बैठक में नहीं था और प्रस्ताव के साथ उसकी लिखी सहमति नहीं; उम्मीदवार चुने गए पंचों में से नहीं।

नामंजूर प्रस्ताव और थोड़े में कारण (नियम 66(4)) .....

नाम वापसी, अगर हुई .....

चुनाव लड़ने वालों की सूची प्ररूप-5 में, हिन्दी वर्णमाला के क्रम में बनाई और पढ़कर सुनाई गई (नियम 66(5); मार्गदर्शिका, अध्याय-7, बिन्दु 8); चुनाव चिह्न सरपंच के मतपत्र पर छपे क्रम से दिए गए; सूची में सबसे आख़िर में नोटा (बिन्दु 9)।

5. परिणाम (जो हुआ, उसके आगे √ लगाइए)

☐ (क) एक ही उम्मीदवार: ..... (वार्ड सं. .....) को उप-सरपंच चुना गया घोषित किया (नियम 66(6))।

☐ (ख) एक से ज़्यादा उम्मीदवार: गुप्त मतदान ..... बजे से ..... बजे तक (नियम 66(7))। वोट सरपंच और चुने गए पंचों ने डाले; डाक से या प्रॉक्सी से वोट नहीं।

क्र.	उम्मीदवार का नाम	चुनाव चिह्न	मिले वोट (अंकों में)	मिले वोट (शब्दों में)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	नोटा (इनमें से कोई नहीं)			
	खारिज मतपत्र			
	कुल			

सबसे ज़्यादा वोट वाले उम्मीदवारों के वोट बराबर हों, तो लॉटरी निकाली जाएगी (मार्गदर्शिका, अध्याय-7, बिन्दु 12): किनके बीच ..... लॉटरी में नाम निकला .....

☐ (ग) कोई उम्मीदवार नहीं, उप-सरपंच नहीं चुना जा सका: रिटर्निंग अधिकारी पंचायतों के प्रभारी अधिकारी और कलेक्टर को सूचना देंगे; वे सरकार को अधिनियम की धारा 26(2) में उप-सरपंच की नियुक्ति के लिए सूचना देंगे (नियम 66(8))। मार्गदर्शिका (अध्याय-7, बिन्दु 8): एक भी नामांकन न आए, तो आयोग चुनाव की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करेगा।

उप-सरपंच चुने गए ....., वार्ड सं. .....। परिणाम प्ररूप-7 (परिशिष्ट-10) में ..... बजे घोषित किया; नोटा के वोटों की परिणाम तय करने में कोई भूमिका नहीं।

6. लिफ़ाफ़े

वैध और खारिज मतपत्र रबर बैंड से अलग-अलग बाँधकर लिफ़ाफ़ा P-40 में रखकर सील किए; नामनिर्देशन पत्र, उम्मीदवारों की सूची, मतदाताओं की सूची, नोटिस वग़ैरह लिफ़ाफ़ा P-41 में रखकर सील किए (नियम 60(1), 66(7); मार्गदर्शिका की लिफ़ाफ़ों की सूची)।

मार्गदर्शिका के अध्याय-7 के बिन्दु 13 में P-41 सील न करने की बात लिखी है।

साथ में: (1) पंचों और सरपंच की उपस्थिति और मतदान सूची (अगला पन्ना); (2) सब नामनिर्देशन पत्र; (3) प्ररूप-5; (4) मतदान हुआ हो, तो गिनती की तालिका; (5) प्ररूप-7 की प्रति।

दिनांक ...../2026

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ..... ज़िला .....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

उप-सरपंच का चुनाव: पंचों और सरपंच की उपस्थिति और मतदान सूची

मतपत्र देने से पहले मतदान अधिकारी इस सूची में टिक (√) लगाएँगे (मार्गदर्शिका, अध्याय-7)।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

क्र.	पद (सरपंच / वार्ड सं.)	नाम	शपथ ली (प्ररूप-11) √	बैठक में हस्ताक्षर	मतपत्र दिया √
1	सरपंच				
2	वार्ड सं.				
3	वार्ड सं.				
4	वार्ड सं.				
5	वार्ड सं.				
6	वार्ड सं.				
7	वार्ड सं.				
8	वार्ड सं.				
9	वार्ड सं.				
10	वार्ड सं.				
11	वार्ड सं.				
12	वार्ड सं.				
13	वार्ड सं.				
14	वार्ड सं.				
15	वार्ड सं.				
16	वार्ड सं.				
17	वार्ड सं.				
18	वार्ड सं.				
19	वार्ड सं.				
20	वार्ड सं.				
21	वार्ड सं.				
22	वार्ड सं.				

कुल चुने गए सदस्य ..... बैठक में मौजूद ..... मतपत्र दिए .....

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग अधिकारी

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत ....

पंचायत समिति ....   ज़िला ....

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: सरपंच एवं वार्ड पंच

निर्वाचन रिकॉर्ड जमा करने की सूची और रसीद

सब काम पूरा होने पर सारा रिकॉर्ड परिशिष्ट-15 के लिफ़ाफ़ों में; सील होने वाले लिफ़ाफ़े सील करके ज़िला निर्वाचन अधिकारी के अधिकृत अधिकारियों को सौंपिए, और जमा करवाकर रसीद लीजिए (मार्गदर्शिका, बिन्दु 23, 24(iv))।

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

लिफ़ाफ़ा	क्या है	सील	मार्गदर्शिका में संख्या	जमा किए (संख्या)
P-1	बड़ा लिफ़ाफ़ा: पंच-सरपंच के नाम निर्देशन पत्र, चुनाव लड़ने वालों की सूचियाँ, मतदाताओं की आयु घोषणाएँ व सूची, अभिकर्ताओं के फार्म, कार्यकारी मतदाता सूचियाँ	नहीं	1	
P-7	चुनाव प्रतीकों की अतिरिक्त स्लिपें	नहीं	1	
P-8	वैध मतपत्र: सरपंच	हाँ	1	
P-9	वैध मतपत्र: पंच	हाँ	5	
P-28	गिनती में खारिज मतपत्र: सरपंच	हाँ	1	
P-29	गिनती में खारिज मतपत्र: पंच	हाँ	1	
P-10	सांख्यिकीय आँकड़े: पंच का फार्म, सरपंच का फार्म, बूथवार महिला-पुरुष मतदान	नहीं	1	
P-11	परिणाम पत्र, ज़िला निर्वाचन अधिकारी को जमा कराने के लिए	नहीं	1	
P-33	पिंक पेपर सील का लेखा, बची और ख़राब पेपर सीलें, बचे फार्म	नहीं	1	
P-42	प्रतिभूति राशि की रसीद बही, ज़ब्त राशि और प्रपत्र-2	नहीं		
P-40	उप-सरपंच चुनाव: वैध-अवैध मतपत्र	हाँ		
P-41	उप-सरपंच चुनाव के बाकी कागज़	हाँ		
बूथों के	मतदान दलों से मिले सील किए लिफ़ाफ़े, हर बूथ के: पंच P-4, P-5, P-13, P-17; सरपंच P-3, P-6, P-12, P-16 (मॉडल कार्यालय शीट #22)	हाँ		

भरी हुई शीटें कहाँ (सुझाव): मॉडल कार्यालय शीट #1 से #4 कार्यालय के अपने काम की, कार्यालय में रखिए; शीट #9 रसीद बही के साथ P-42 में; शीट #30 से #32 उप-सरपंच के चुनाव के कागज़ों के साथ P-41 में; बाकी सब भरी शीटें P-1 में, जिसमें मार्गदर्शिका नाम निर्देशन पत्र, उनसे जुड़े कागज़ और "अन्य कागजात" रखती है।

मार्गदर्शिका के अध्याय-7 के बिन्दु 13 में P-41 सील न करने की बात लिखी है।

सौंपने वाले: रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत ....   हस्ताक्षर ....   दिनांक ....

✂ -

रसीद

ग्राम पंचायत .... के रिटर्निंग अधिकारी से ऊपर की सूची के लिफ़ाफ़े, आख़िरी कॉलम में लिखी संख्या में, प्राप्त किए।

प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम .... पद ....

हस्ताक्षर .... दिनांक .... समय ....

सूची दो प्रतियों में भरिए; रसीद वाली प्रति रिटर्निंग अधिकारी के पास रहेगी।